महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा 'ए' ग्रेड प्रमाणित)

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र)

Website : www.hindivishwa.org

विद्या-परिषद् की

45वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक	:	30 जुलाई, 2025 (बुधवार) विस्तारित दिनांक 11 और 12 अगस्त, 2025
समय	:	पूर्वाह्न 10.00 बजे
स्थान	:	महादेवी वर्मा सभागार विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या परिषद् की 45वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 30.07.2025 (बुधवार) विस्तारित 11 और 12 अगस्त 2025

समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे

स्थान : महादेवी वर्मा सभागार, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

मद सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	विद्या–परिषद् की 43वीं और 44वीं बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि।	04
2.	विद्या–परिषद् की 43वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गयी अनुवर्ती कार्रवाई।	
3.	विद्या–परिषद् सदस्य के रूप में नामांकन।	05
4.	विभिन्न विद्यापीठों के स्कूल बोर्ड द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार। 1. साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त। 2. प्रबंधन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं बैठक का कार्यवृत्त। 3. विधि विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की तृतीय, चतुर्थ, पाँचवी और छठवीं बैठक का कार्यवृत्त। 4. मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 19 (ए), 20वीं, 21वीं और 22वीं बैठक का कार्यवृत्त। 5. शिक्षा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं बैठक का कार्यवृत्त। 6. संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 26, 27, 28 एवं 29वीं बैठक का कार्यवृत्त। 7. भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 23वीं बैठक का कार्यवृत्त। 8. अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त	06
5.	वर्धा समाज कार्य संस्थान के प्रथम अध्ययन मण्डल की बैठक का कार्यवृत्त।	07
6.	विभागों से प्राप्त पाठ्यचर्याएँ।	08
7.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्थानीयता को दी जाने वाली प्रमुखता के अनुसार महाराष्ट्र के सन्त नामदेव व सन्त ज्ञानेश्वर को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में समाहित करने हेतु गठित समीक्षा समिति की बैठक का कार्यवृत्त।	
8.	सुश्री रेणु शर्मा, शोधार्थी पीएच.डी. (सत्र 2012–13) प्रदर्शनकारी कला विभाग का पीएच.डी. प्रकरण	09
9.	अंशकालिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएच.डी.।	11
10.	स्नातक ऑनर्स में पाठ्यक्रमों को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में।	
11.	श्री चेतन सिंह, पीएच.डी. शोधार्थी – निलम्बन आदेश निरस्तीकरण एवम् पुनः प्रवेश हेतु अनुरोध पर विचार।	12

12.	पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2022–23 — प्रक्रिया की प्रगति, स्थगन, जाँच प्रतिवेदन एवम् यूजीसी के नवीन दिशा–निर्देशों के आलोक में आगामी अपेक्षित कार्यवाही के सम्बन्ध में।	13
13.	विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाणपत्रों के सत्यापन हेतु शुल्क निर्धारण।	15
14.	आन्तरिक मूल्यांकन सेमिनार, टर्म पेपर (सत्रीय पत्र), मौखिकी, परियोजना कार्य इत्यादि के आन्तरिक अंक सम्बन्धी प्रपत्र।	16
15.	स्नातक कार्यक्रमों हेतु क्रेडिट निर्धारण एवम् नवीन पाठ्य–संरचना।	
16.	एम.फिल. शोध मूल्यांकन एवम् मौखिकी परीक्षा : सुश्री चंचल कुमारी (सत्र 2019–21) प्रकरण।	17
17.	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.एड.–एमएड. (एकीकृत कार्यक्रम) को एम.ए. शिक्षाशास्त्र के समतुल्यता के सम्बन्ध में।	
18.	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक एवम् परास्नातक कार्यक्रमों में विदेशी छात्रों के लिए सीटें निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।	
19.	शैक्षणिक सत्र 2024–25 से संचालित योग विषयक परास्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम : कार्योत्तर स्वीकृति।	18
20.	विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2025–26 में विधि परास्नातक (एल.एल.एम.) कार्यक्रम का संचालन।	
21.	श्री अभिषेक कुमार, एम.सी.ए., सत्र 2022–24 को तृतीय अधिसत्र की परीक्षा में बैठने की अनुमति।	19
22.	दूर शिक्षा निदेशालय के आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र (CIQA) समिति की बैठक का कार्यवृत्त	20
23.	दूर शिक्षा निदेशालय में प्रवेशित विद्यार्थियों के पुन: पंजीकरण (Re–registration) से सम्बन्धित प्रकरण।	
24.	प्रवेश समिति की बैठकों के कार्यवृत्त।	21
25.	अंकपत्र प्रारूप में संशोधन।	
26.	पूर्व वर्ष के दोनों सेमेस्टरों में उत्तीर्णता के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	
27.	ट्रांसक्रिप्ट का प्रारूप में संशोधन।	22
28.	परीक्षा सम्बन्धी कार्य हेतु मानदेय।	
29.	सुश्री आरती, शोधार्थी, पीएच.डी. की खुली मौखिकी।	23
30.	शैक्षणिक सत्र 2025–26 की विवरणिका (स्नातक एवम् परास्नातक) : कार्योत्तर स्वीकृति।	
31.	समेकित समय–सारिणी (Academic Schedule) का अनुमोदन।	
32.	प्रवेश क्षमता की पुनर्समीक्षा हेतु समिति गठन का प्रस्ताव।	24
33.	शैक्षणिक सत्र 2026–27 से प्रभावी नयी शुल्क संरचना निर्धारण हेतु समिति का गठन	
34.	प्रवेश नीति के पुनर्निर्धारण हेतु समिति का गठन।	25
35.	शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए अकादमिक कैलेंडर का अनुमोदन।	
36.	प्रस्तावित नये कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुमोदन।	
37.	सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी मराठी भाषा तथा तत्त्वज्ञान अध्ययन केन्द्र, रिद्धपुर, अमरावती (महाराष्ट्र) में योग एवम् स्वास्थ्य में परास्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम का प्रारम्भ।	26
38.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत बहुस्तरीय प्रवेश एवम् निर्गमन प्रणाली के लिए समिति का गठन	27

39.	श्री अमित गौरव, बी.एड.-एम.एड. एकीकृत का पाठ्यक्रम अवधि विस्तार।	
40.	सुश्री नविता का प्रवेश निरस्तीकरण प्रकरण – यूजीसी से प्राप्त शिकायत के आलोक में विचारार्थ।	
41.	श्री हिमांशु ओझा, बी.वोक. (अभिनय एवम् मंच विन्यास), सत्र 2018 के छात्र को अधिकतम अवधि समाप्त होने की स्थिति में विशेष शिथिलता प्रदान कर डिग्री जारी करना।	28
42.	भारतीय ज्ञान परम्परा विश्वकोश प्रकाशन हेतु संक्षिप्त प्रस्ताव।	
43.	क्षेत्रीय केन्द्र कोलकाता, प्रयागराज और रिद्धपुर की वर्तमान स्थिति एवम् आगामी अकादमिक गतिविधियों पर चर्चा।	29
44.	श्री अमृतलाल नागर सृजन पीठ में अतिथि अध्येता की नियुक्ति।	
45.	राइटर–इन–रेजिडेन्स की नियुक्ति।	
46.	विद्यार्थी प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव। विधि विभाग के बी.ए. एलएल. बी. (ऑनर्स) के सन्दर्भ में। विश्वविद्यालय में संचालित शारीरिक शिक्षा विभाग का क्रियान्वयन।	30
47.	पीएच.डी. कार्यक्रम में विभाग स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रकरण	31
48.	प्रो. अनिल कुमार राय को यथावत शोध निर्देशक बनाये रखने का प्रस्ताव	32
49.	दूर शिक्षा निदेशालय के प्रबन्धन बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त	
50.	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय। 01. छात्रावास आवंटन नियमावली एवं छात्रावास / मेस नियमावली का अनुमोदन। 02. आवासीय अवधि पूर्ण नहीं किये शोधार्थियों को पीएच.डी. पूर्ण करने की अनुमति। 03. कुलपति पद नाम के स्थान पर 'कुलगुरू' पद नाम का उपयोग करने की अनुमति। 04. छात्रावास अधीक्षक का विद्यार्थियों से साप्ताहिक संवाद। 05. चीनी में स्नातक (चार वर्षीय कार्यक्रम) के विद्यार्थियों को तीन वर्ष में स्नातक उपाधि प्रदान करने के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति। 06. श्री चे जिलूंग, चीनी पीएच.डी. शोधार्थी को शोध प्रबंध जमा करने की अनुमति	33

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

-: कार्यवृत्त :-

विद्या–परिषद् की 45वीं बैठक

विद्या–परिषद् की 45वीं बैठक कुलपति, प्रो. कुमुद शर्मा की अध्यक्षता में दिनांक 30.07.2025 (बुधवार) को पूर्वाह्न 10:00 बजे महादेवी वर्मा सभागार, तुलसी भवन, वर्धा में आयोजित हुई। कार्यसूची में मदों की संख्या एवम् राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गयी पाठ्यचर्याओं के अवलोकन एवम् उस पर विचार–विमर्श हेतु बैठक को दिनांक 11.08.2025 और 12.08.2025 को विस्तारित किया गया। तदनुसार बैठकें आयोजित हुई।

तीन दिन की विस्तारित बैठक में सदस्यों की निम्नानुसार उपस्थिति रही :

अ.क्र.	नाम और पद	30.07.2025	11.08.2025	12.08.2025
1.	प्रो. कुमुद शर्मा कुलपति एवम् अध्यक्ष	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
2.	प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल अधिष्ठाता, अनुवाद एवम् निर्वचन विद्यापीठ अध्यक्ष, अनुवाद अध्ययन विभाग अध्यक्ष, श्री चमनलाल प्रवासन एवम् डायस्पोरा अध्ययन विभाग निदेशक, पराविद्या उच्च शोध एवम् ज्ञानार्जन केन्द्र निदेशक, वर्धा समाजकार्य संस्थान	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
3.	प्रो. फरहद मलिक अधिष्ठाता, मानविकी एवम् सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ अध्यक्ष, मानवविज्ञान विभाग अध्यक्ष, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान विभाग	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
5.	प्रो. अवधेश कुमार अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण अध्यक्ष, हिन्दी साहित्य विभाग अध्यक्ष, मराठी साहित्य विभाग अध्यक्ष, संस्कृत साहित्य विभाग	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित

6.	प्रो. गोपाल कृष्ण ठाकुर अधिष्ठाता, शिक्षा विद्यापीठ अधिष्ठाता, प्रबन्धन विद्यापीठ अध्यक्ष, शिक्षा विभाग अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
7.	प्रो. जनार्दन कुमार तिवारी अधिष्ठाता, विधि विद्यापीठ अध्यक्ष, विधि विभाग	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
8.	प्रो. दिगम्बर माधवराव तंगलवाड अधिष्ठाता, संस्कृति विद्यापीठ निदेशक, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर सिदो–कान्हू–मुर्मू–दलित एवम् जनजाति अध्ययन केन्द्र निदेशक, डॉ. भदन्त आनन्द कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केन्द्र	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
9.	प्रो. कृपाशंकर चौबे अध्यक्ष, जनसंचार विभाग	ऑनलाइन	उपस्थित	उपस्थित
10.	डॉ. ओमप्रकाश भारती अध्यक्ष, प्रदर्शनकारी कला विभाग	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
11.	डॉ. रविन्द्र टी. बोरकर अध्यक्ष, वाणिज्य एवम् प्रबन्धन विभाग	उपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
12.	डॉ. रामानुज अस्थाना अध्यक्ष, तुलनात्मक साहित्य विभाग	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
13.	डॉ. एच. ए. हुनगुन्द अध्यक्ष, भाषाविज्ञान विभाग	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
14.	डॉ. राकेश कुमार मिश्र अध्यक्ष, गांधी एवम् शान्ति अध्ययन विभाग	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
15.	डॉ. अवन्तिका शुक्ल अध्यक्ष, स्त्री अध्ययन विभाग (ऑनलाइन)	ऑनलाइन	ऑनलाइन	ऑनलाइन
16.	डॉ. विपिन कुमार पाण्डेय अध्यक्ष, दर्शन एवम् संस्कृति विभाग	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
17.	प्रो. प्रीति सागर, प्रोफेसर	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
18.	प्रो. अनिल कुमार पाण्डेय, प्रोफेसर	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित

19.	प्रो. अखिलेश कुमार दुबे प्रोफेसर एवम् अकादमिक निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, प्रयागराज	ऑनलाइन	ऑनलाइन	ऑनलाइन
20.	डॉ. अमित राय, एसोशिएट प्रोफेसर	ऑनलाइन	ऑनलाइन	ऑनलाइन
21.	डॉ. अमरेन्द्र कुमार शर्मा, एसोशिएट प्रोफेसर	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
22.	डॉ. जयन्त उपाध्याय, एसोशिएट प्रोफेसर	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
23.	डॉ. प्रियंका मिश्र, एसोशिएट प्रोफेसर	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित
24.	डॉ. निशीथ राय, सहायक प्रोफेसर	उपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
25.	डॉ. रूपेश कुमार सिंह, सहायक प्रोफेसर	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
26.	डॉ. रेणु सिंह, सहायक प्रोफेसर	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
27.	डॉ. राजीव रंजन राय, सहायक प्रोफेसर	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
28.	डॉ. मैत्रेयी घोष, पुस्तकालयाध्यक्ष	उपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
29.	श्री अश्वनी कुमार मौर्य, शोधार्थी प्रतिनिधि	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
30.	सुश्री वेदिका मिश्रा, विद्यार्थी प्रतिनिधि	उपस्थित	ऑनलाइन	उपस्थित
31.	प्रो. आनन्द पाटील प्रोफेसर एवम् निदेशक, दूर शिक्षा निदेशालय अधिष्ठाता : भाषा विद्यापीठ अध्यक्ष, भाषा–प्रौद्योगिकी एवम् भाषा अभियान्त्रिकी विभाग अध्यक्ष, अंग्रेज़ी एवम् विदेशी भाषा अध्ययन विभाग अध्यक्ष, भारतीय भाषा अध्ययन विभाग कुलसचिव (कार्यवाहक) एवम् पदेन सचिव	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
32.	श्री. पी. सरदार सिंह वित्त अधिकारी (कार्यवाहक) स्थायी आमन्त्रित	उपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
33.	श्री. क़ादर नवाज़ ख़ान परीक्षा नियन्त्रक (कार्यवाहक) विशेष आमन्त्रित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित

विश्वविद्यालय के कुलगीत से बैठक का प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भ में, पदेन सचिव द्वारा नव–नियुक्त कुलपति प्रो. कुमुद शर्मा तथा समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। विद्या–परिषद् ने नव–नियुक्त तथा विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति का हार्दिक अभिनन्दन किया तथा विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय नये कीर्तिमान स्थापित करेगा।

विद्या–परिषद् में नये सदस्यों का नामांकन एवम् स्वागत

विश्वविद्यालय के परिनियम 14(1)(एफ) के अन्तर्गत चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर चार (04) एसोसिएट प्रोफेसरों एवम् चार (04) सहायक प्रोफेसरों को कुलपति द्वारा दो (02) वर्षों की अवधि के लिए वरिष्ठता के क्रम में विद्या-परिषद् का

सदस्य नामित किया गया है। विद्या-परिषद् ने डॉ. अमित राय, डॉ. अमरेन्द्र कुमार शर्मा, डॉ. जयन्त उपाध्याय एवम् डॉ. प्रियंका मिश्र (एसोसिएट प्रोफेसर) तथा डॉ. निशीथ राय, डॉ. रूपेश कुमार सिंह, डॉ. रेणु सिंह एवम् डॉ. राजीव रंजन राय (सहायक प्रोफेसर) का स्वागत किया तथा निवर्तमान सदस्यों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

साथ ही, विश्वविद्यालय के परिनियम 14(1)(के) के अन्तर्गत एक अकादमिक वर्ष की अवधि के लिए नामित शोधार्थी प्रतिनिधि श्री अश्वनी कुमार मौर्य एवम् विद्यार्थी प्रतिनिधि सुश्री वेदिका मिश्रा का भी विद्या-परिषद् ने स्वागत किया।

मद संख्या–01: विद्या–परिषद् की 43वीं और 44वीं बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि।

विद्या–परिषद् की दिनांक 07.11.2022 को आयोजित 43वीं बैठक तथा दिनांक 20.09.2024 को सम्पन्न 44वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रतियाँ परिषद् के समस्त माननीय सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की गयी थीं।

इस सम्बन्ध में प्रो. फरहद मलिक, अधिष्ठाता, मानविकी एवम् समाज विज्ञान विद्यापीठ ने दि. 22.10.2024 को पत्र प्रेषित किया है, जो पृ.सं. 24 पर अवलोकनार्थ संलग्न है।

उपरोक्त के आलोक में, दोनों बैठकों के कार्यवृत्त सम्पुष्टि हेतु विद्या–परिषद् के समक्ष **परिशिष्ट–1 एवम् परिशिष्ट–2** के रूप में प्रस्तुत हैं।

निर्णय : विद्या परिषद् की 44वीं बैठक की मद संख्या–01 के सन्दर्भ में यह निर्णय लिया गया कि सुश्री आरती कुमारी, पीएच.डी. शोधार्थी की खुली मौखिकी पन्द्रह (15) दिनों के भीतर आयोजित की जाए तथा इस सम्बन्ध में जारी की जाने वाली अधिसूचना में प्रो. एल. कारूण्यकरा का उल्लेख शोध निर्देशक के रूप में किया जाए।

चर्चा के उपरान्त विद्या–परिषद् की 43वीं एवम् 44वीं बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गयी।

मद संख्या–02: विद्या–परिषद् की 43वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गयी अनुवर्ती कार्रवाई।

विद्या–परिषद् की 43वीं बैठक दिनांक 07.11.2022 को सम्पन्न हुई, बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन में की गयी अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है –

मद संख्या	कृत कार्रवाई
3	मानद डी.लिट्. उपाधि हेतु संस्तुति विद्या–परिषद् द्वारा भारतीय भाषा, साहित्य तथा संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले निम्नलिखित छह (06) विद्वानों को दीक्षान्त समारोह में मानद डी.लिट्. उपाधि प्रदान किये जाने हेतु संस्तुत किया गया था — 1. श्री कृष्णबिहारी मिश्र 2. डॉ. मारुति चित्तमपल्ली 3. श्री रमेश पतंगे 4. श्री रामभद्राचार्य 5. श्री भीखु भाई इदाते 6. श्री शिव निर्मोही

	कार्य–परिषद् ने व्यापक विचार–विमर्श के उपरान्त, गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी दो विद्वानों को मानद डी.लिट्. उपाधि प्रदान करने का निर्णय लिया है। उपर्युक्त नामों में से कार्य–परिषद् द्वारा चयनित विद्वान – श्री राम मभद्राचार्य तथा श्री रमेश पतंगे को मानद डी.लिट्. उपाधि प्रदान करने हेतु दिनांक 25.11.2022 को कुलाध्यक्ष की अनुमति के लिए पत्र प्रेषित किया गया है।
4 (2)	विश्वविद्यालय के संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 17.10.2022 को सम्पन्न 25वीं बैठक की मद संख्या–06 पर हुई चर्चा के दौरान श्री रजनीश कुमार अम्बेडकर, पीएच.डी. शोधार्थी को अपना शोध प्रबन्ध जमा करने के लिए निश्चित अवधि प्रदान करने के लिए माननीय कुलपति को अधिकृत किया गया था। इस तारतम्य में अधिसूचना क्रमांक 003/2019/स.नि.अनु./324–09/2022, दिनांक 28.11.2022 के माध्यम से दिनांक 31.12.2022 तक की अवधि दी गयी है। **निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन कर श्री रजनीश कुमार अम्बेडकर, शोधार्थी, स्त्री अध्ययन विभाग की दिनांक 12.10.2023 को पीएच.डी. अधिसूचना जारी की गयी है।**
5 (3)	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्थानीयता को दी जाने वाली प्रमुखता के अनुसार महाराष्ट्र के सन्त नामदेव व सन्त ज्ञानेश्वर को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में समाहित करने के सम्बन्ध में समीक्षा (Review) करने के लिए अधिसूचना क्रमांक 003/2019/स.नि.अनु./324–09/2022, दिनांक 28.11.2022 के माध्यम से समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट मद संख्या 4 में अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

शेष मदों के सम्बन्ध में निर्णयों का अनुपालन कर लिया गया है।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने संज्ञान लिया।

मद संख्या–03: विद्या–परिषद् सदस्य के रूप में नामांकन

विश्वविद्यालय के परिनियम 14 (1) (जे) जो कि निम्नानुसार है –

> ***14 (1) (j) Four persons not in the service of the University co–opted by the Academic Council for their knowledge.***

– के अनुसार विद्या–परिषद् में चार बाह्य–विशेषज्ञों को विद्या–परिषद् द्वारा सह–योजित (co–opt) करने का प्रावधान है। उपर्युक्त प्रावधान के अन्तर्गत नामित सदस्यों की दो (02) वर्ष की कार्यावधि समाप्त हो चुकी है। चार (04) नये सदस्यों को सह–योजित (co–opt) करने का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने प्रो. खेमसिंह डहेरिया, पूर्व कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल (मध्य प्रदेश), प्रो. रसाल सिंह, रामानुजन महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, प्रो. शकुन्तला मिश्रा, विश्व भारती, शान्तिनिकेतन (पश्चिम बंगाल) और प्रो. नरेन्द्र मिश्र, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली को बाह्य–विशेषज्ञ के रूप में सह–योजित (co–opt) करने का निर्णय लिया।

मद संख्या–04: विभिन्न विद्यापीठों के स्कूल बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुतियों पर विचार

1. **साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त**

   विश्वविद्यालय के साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 28.06.2023, 08.11.2023 और 25.07.2025 को बैठकें संपन्न हुईं। स्कूल बोर्ड के कार्यवृत्त अवलोकन/विचार–विमर्श/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने चर्चा के उपरान्त स्कूल बोर्ड की संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की तथा प्रस्तुत पाठ्यचर्याओं पर विचार–विमर्श करने के पश्चात्, प्रथम एवम् द्वितीय अधिसत्र की पाठ्यचर्याओं में आंशिक संशोधन हेतु निर्देश देते हुए उन्हें अनुमोदित किया।

2. **प्रबन्धन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं बैठक के कार्यवृत्त**

   विश्वविद्यालय के प्रबन्धन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 9वीं बैठक दिनांक 08.05.2023, 10वीं बैठक दिनांक 12.11.2024, 11वीं बैठक दिनांक 01.05.2025 एवम् 12वीं बैठक दिनांक 20.06.2025 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड के कार्यवृत्त अवलोकन/विचार–विमर्श/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने चर्चा के उपरान्त स्कूल बोर्ड की संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की तथा प्रस्तुत पाठ्यचर्याओं पर विचार–विमर्श करने के पश्चात्, प्रथम एवम् द्वितीय अधिसत्र की पाठ्यचर्याओं में आंशिक संशोधन हेतु निर्देश देते हुए उन्हें अनुमोदित किया।

3. **विधि विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की तीसरी, चौथी, पाँचवी और छठवीं बैठक के कार्यवृत्त**

   विश्वविद्यालय के विधि विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की तीसरी बैठक दिनांक 28.04.2023, चौथी बैठक दिनांक 16.10.2023 पाँचवीं बैठक दिनांक 14.11.2024 और छठवीं बैठक दिनांक 04.04.2025 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड के कार्यवृत्त अवलोकन/विचार–विमर्श/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने चर्चा के उपरान्त स्कूल बोर्ड की संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की तथा यह संज्ञान लिया कि विधि विभाग की पाठ्यचर्याएँ बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया के दिशा–निर्देशों के अनुरूप संचालित हो रही हैं। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत पाठ्यचर्याओं का अनुमोदन किया गया।

4. **मानविकी एवम् सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 19 (ए) 20वीं, 21वीं और 22वीं बैठक के कार्यवृत्त**

   विश्वविद्यालय के मानविकी एवम् सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 20वीं बैठक दिनांक 28.02.2025, 21वीं बैठक दिनांक 05.05.2025 को तथा 22वीं बैठक दिनांक 11.07.2025 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड के कार्यवृत्त अवलोकन/विचार–विमर्श/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं।

निर्णय : विद्या–परिषद ने मानविकी एवम् सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 27.06.2023 को प्रो. अनिल कुमार राय की अध्यक्षता में सम्पन्न 19वीं बैठक को अधिष्ठाता के प्रस्ताव के अनुसार 19(ए) मानते हुए, उस बैठक में की गई संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की। प्रस्तुत पाठ्यचर्याओं पर विचार–विमर्श करने के पश्चात्, प्रथम एवम् द्वितीय अधिसत्र की पाठ्यचर्याओं में आंशिक संशोधन हेतु निर्देश देते हुए उन्हें अनुमोदित किया गया।

5. शिक्षा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं बैठक के कार्यवृत्त।

विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 13वीं बैठक दिनांक 30.06.2023, 14वीं बैठक दिनांक 14.10.2023, 15वीं बैठक दिनांक 02.05.2025 तथा 16वीं बैठक दिनांक 18.07.2025 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड के कार्यवृत्त अवलोकन/विचार–विमर्श/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं।

निर्णय : विद्या–परिषद ने चर्चा के उपरान्त स्कूल बोर्ड की संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की तथा संज्ञान लिया कि शिक्षा विभाग की पाठ्यचर्याएँ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के दिशा–निर्देशों के अनुरूप संचालित होती हैं। अतः उक्त प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गयी पाठ्यचर्याओं का अनुमोदन किया गया।

6. संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 26वीं, 27वीं, 28वीं एवम् 29वीं बैठक के कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 26वीं बैठक दिनांक 26.06.2023, 27वीं बैठक दिनांक 23.11.2023, 28वीं बैठक दिनांक 17.04.2025 तथा 29वीं बैठक दिनांक 10.07.2025 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड के कार्यवृत्त अवलोकन/विचार–विमर्श/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने चर्चा के उपरान्त स्कूल बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की तथा प्रस्तुत पाठ्यचर्याओं पर विचार–विमर्श करने के पश्चात्, प्रथम एवम् द्वितीय अधिसत्र की पाठ्यचर्याओं में आंशिक संशोधन हेतु निर्देश देते हुए उन्हें अनुमोदित किया।

7. भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 23वीं बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 23वीं बैठक दिनांक 08.07.2025 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड का कार्यवृत्त अवलोकन/विचार–विमर्श/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने चर्चा के उपरान्त स्कूल बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की तथा प्रस्तुत पाठ्यचर्याओं पर विचार–विमर्श करने के पश्चात्, प्रथम एवम् द्वितीय अधिसत्र की पाठ्यचर्याओं में आंशिक संशोधन हेतु निर्देश देते हुए उन्हें अनुमोदित किया।

8. अनुवाद एवम् निर्वचन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के अनुवाद एवम् निर्वचन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक दिनांक 19.06.2025 को संपन्न हुई। स्कूल बोर्ड का कार्यवृत्त अवलोकन/विचार–विमर्श/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने चर्चा के उपरान्त स्कूल बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की तथा प्रस्तुत पाठ्यचर्याओं पर विचार–विमर्श करने के पश्चात्, प्रथम एवम् द्वितीय अधिसत्र की पाठ्यचर्याओं में आंशिक संशोधन हेतु निर्देश देते हुए उन्हें अनुमोदित किया।

मद संख्या–05: वर्धा समाज कार्य संस्थान के प्रथम अध्ययन मण्डल की बैठक का कार्यवृत्त

वर्धा समाज कार्य संस्थान के अध्ययन मण्डल की प्रथम बैठक दिनांक 04.10.2023 को संपन्न हुई। अध्ययन मण्डल द्वारा की गयी संस्तुतियों पर विचार हेतु अध्ययन मण्डल की बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने चर्चा के उपरान्त अध्ययन मण्डल (BoS) द्वारा की गयी संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की तथा प्रस्तुत पाठ्यचर्याओं पर विचार–विमर्श करने के पश्चात्, प्रथम एवम् द्वितीय अधिसत्र की पाठ्यचर्याओं में आंशिक संशोधन हेतु निर्देश देते हुए उन्हें अनुमोदित किया।

मद संख्या–06: विभागों से प्राप्त पाठ्यचर्याएँ

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत नवीन अथवा अद्यतन पाठ्यचर्याओं में पाठ्यक्रमों की संरचना, पाठ्य विषय-वस्तु, क्रेडिट निर्धारण प्रणाली तथा मूल्यांकन के मानदण्डों का समावेश किया गया है। उक्त पाठ्यचर्याओं को कार्यान्वित किये जाने से पूर्व विद्या–परिषद् से अनिवार्य स्वीकृति प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने गहन चर्चा के उपरान्त विभिन्न विभागों के अध्ययन मण्डल एवम् स्कूल बोर्ड द्वारा संस्तुत प्रथम एवम् द्वितीय अधिसत्र की पाठ्यचर्याओं का अवलोकन किया तथा आवश्यक सुझाव/निर्देश प्रदान करते हुए प्रस्तुत पाठ्यचर्याओं का अनुमोदन किया।

मद संख्या–07: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्थानीयता को दी जाने वाली प्रमुखता के अनुसार महाराष्ट्र के सन्त नामदेव व सन्त ज्ञानेश्वर को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में समाहित करने हेतु गठित समीक्षा समिति की बैठक का कार्यवृत्त

विद्या–परिषद् की दिनांक 07.11.2022 को सम्पन्न तीसरी बैठक की मद संख्या 5 के बिन्दु 3 में लिये गये निर्णय के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक 003/2019/स.नि.अनु./324–10/2021, दिनांक 28.11.2022 के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्थानीयता को दी जाने वाली प्रमुखता के अनुसार महाराष्ट्र के सन्त नामदेव एवम् सन्त ज्ञानेश्वर को विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों में समाहित करने के सम्बन्ध में समीक्षा (Review) करने के लिए समिति का गठन किया गया था। इस ध्येय–पूर्ति हेतु दिनांक 30.11.2023 को अपराह्न 04:00 बजे समिति की बैठक आयोजित की गयी थी। समिति की अनुशंसाएँ निम्नानुसार हैं —

1. *समिति ने चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित विभागों द्वारा NEP–2020 के अनुरूप संचालित कार्यक्रमों की पाठ्यचर्याओं में सन्त नामदेव एवम् सन्त ज्ञानेश्वर द्वारा विरचित साहित्य के समुचित अंशों को समाहित करने की संस्तुति की –*
   1. *हिन्दी साहित्य विभाग*
   2. *तुलनात्मक साहित्य विभाग*
   3. *मराठी साहित्य विभाग*
2. *सन्त नामदेव एवम् सन्त ज्ञानेश्वर के साहित्य का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। समिति ने इस दृष्टि से अनुवाद अध्ययन विभाग द्वारा NEP–2020 के अनुरूप संचालित कार्यक्रमों की पाठ्यचर्याओं में सन्त नामदेव एवम् सन्त ज्ञानेश्वर के साहित्य को 'भारतीय भाषाओं में अनुवाद' पाठ्यचर्या के अन्तर्गत समाहित करने की संस्तुति की।*
3. *सन्त नामदेव व सन्त ज्ञानेश्वर के सामाजिक विचारों, समाज सुधारों और कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित विभागों द्वारा NEP–2020 के अनुरूप संचालित कार्यक्रमों की पाठ्यचर्याओं में समाहित करने की संस्तुति की।*
   1. *समाजशास्त्र विभाग*
   2. *वर्धा समाज कार्य संस्थान*
   3. *इतिहास विभाग*

4. *सन्त नामदेव व सन्त ज्ञानेश्वर के साहित्य, सामाजिक विचारों, समाज सुधारों और कार्यों का कला के विभिन्न रूपों में पर्याप्त चित्रण हुआ है और इस पर कार्य करने की पर्याप्त सम्भावना भी है। इस दृष्टि से प्रदर्शनकारी कला विभाग द्वारा NEP–2020 के अनुरूप संचालित कार्यक्रमों की पाठ्यचर्याओं में उक्त को समाहित करने की संस्तुति की।* **(पृ.सं. 105–106)**

निर्णय : विद्या–परिषद् ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्थानीयता को दी जाने वाली प्रमुखता के अनुसार महाराष्ट्र के सन्त नामदेव एवम् सन्त ज्ञानेश्वर को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में समाहित करने हेतु गठित समीक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।

मद संख्या–08: सुश्री रेणु शर्मा, शोधार्थी पीएच.डी. (सत्र 2012–13) प्रदर्शनकारी कला विभाग का पीएच.डी. प्रकरण

1. सुश्री रेणु शर्मा, पीएच.डी. शोधार्थी, प्रदर्शनकारी कला (फिल्म एवम् नाटक) विभाग (सत्र 2012–13), ने अपने पत्र दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से अनुरोध किया है कि अचानक तबीयत खराब होने एवम् कोरोना काल के कारण वे पुस्तकालय का अदेयता प्रमाणपत्र तथा शोध से सम्बन्धित अन्य औपचारिकताएँ समय पर पूर्ण नहीं कर सकीं। उन्होंने दिनांक 11.05.2023 को समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर अदेयता प्रमाणपत्र विभाग में जमा कर दिया है तथा शोध प्रबन्ध मूल्यांकन हेतु अग्रेषित किये जाने का अनुरोध किया है।

   इस सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष, प्रदर्शनकारी कला (फिल्म एवम् नाटक) विभाग द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित निम्नांकित बिन्दु प्रस्तुत किये गये हैं, जिन्हें विद्या–परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ / विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है –

   1. *पीएच.डी. प्रदर्शनकारी कला (फिल्म एवम् नाटक), सत्र 2012–13 की शोधार्थी रेणु शर्मा की प्रवेश तिथि 19.07.2012 है। शोधार्थी का शोध विषय ''हिन्दी सिनेमा आलोचना का विश्लेषणात्मक अध्ययन (विशेष सन्दर्भ : 1950–2010)'' है तथा शोध निर्देशक प्रो. सुरेश शर्मा थे। शोधार्थी के 18.07.2017 को पाँच (05) वर्ष पूर्ण हुए हैं।*

   2. *शोधार्थी की पीएच.डी. पूर्व प्रस्तुति दिनांक 23.03.2017 को सम्पन्न हुई थी तथा शोध निर्देशक प्रो. सुरेश शर्मा दिनांक 07 अप्रैल 2017 को विश्वविद्यालय की सेवा से मुक्त हो गये।*

   3. *दिनांक 12.07.2017 को शोधार्थी ने एक (01) माह की अवधि विस्तार हेतु माननीय कुलपति महोदय को आवेदन दिया। माननीय कुलपति महोदय द्वारा शोधार्थी को एक (01) माह की अवधि विस्तार दिया गया। शोधार्थी ने वांछित अवधि में शोध प्रबन्ध जमा नहीं किया तथा आठ (08) महीने बीत जाने के पश्चात् पुनः दिनांक 07.04.2018 को माननीय कुलपति महोदय को सम्बोधित पत्र के माध्यम से विशेष परिस्थिति में शोध–प्रबन्ध जमा करने की अनुमति प्रदान करने का आवेदन दिया। माननीय कुलपति महोदय द्वारा विशेष परिस्थिति में शोध–प्रबन्ध जमा करने की अनुमति प्रदान की गयी।*

   4. *दिनांक 17.04.2018 को शोधार्थी ने शोध निर्देशक द्वारा हस्ताक्षरित शोध–प्रबन्ध की चार (04) प्रतियाँ एवम् सी.डी. कार्यालय सहायक के पास छोड़ दिये। अन्य औपचारिकताएँ यथा – शोध सार चार (04) प्रतियाँ, छात्र सहमति फॉर्म, सत्यनिष्ठा एवम् साहित्य चोरी सम्बन्धी शपथ–पत्र, अदेयता प्रमाणपत्र, प्रकाशित शोध आलेखों की चार (04) प्रतियाँ, विविध संगोष्ठी के प्रमाणपत्र की चार (04) प्रतियाँ, प्रारूप 02 एवम् प्रारूप 04 शोधार्थी ने प्रस्तुत नहीं किये।*

5. *दिनांक 26.06.2018 को साहित्य विद्यापीठ की पुस्तकालय सहायक सुश्री हर्षा शिंगारे ने पत्र द्वारा विभागाध्यक्ष को अवगत कराया कि सुश्री रेणु शर्मा ने विद्यापीठ के पुस्तकालय की 03 पुस्तकें जमा नहीं किये हैं और न ही विद्यापीठ के पुस्तकालय से अदेयता प्रमाणपत्र हस्ताक्षरित करवाया है।*

6. *विद्यापीठ के पुस्तकालय से निर्गत पुस्तकें तथा शोध प्रबन्ध से सम्बन्धित अन्य प्रपत्र जमा करने हेतु दिनांक 26.07.2018, 17.09.2018, 10.12.2018, 02.01.2019 एवम् 23.07.2019 को सुश्री रेणु शर्मा को विभाग से अनुस्मारक भेजे गये। विभाग द्वारा शोधार्थी को दूरभाष पर भी अवगत कराया गया।*

7. *दिनांक 18.07.2022 को शोधार्थी के दस (10) वर्ष पूर्ण हो गये। शोध निर्देशक प्रो. सुरेश शर्मा दिनांक 07.04.2017 को सेवा मुक्त हो गये जबकि शोध प्रबन्ध 17.04.2018 को विभाग में प्रस्तुत किया गया। शोध निर्देशक के प्रमाणपत्र में हस्ताक्षर के साथ तिथि का उल्लेख नहीं है, केवल विभाग का लेटर हेड पत्रांक तथा वर्ष 2017 अंकित है। यह तथ्य भ्रामक तथा विसंगतिपूर्ण प्रतीत होता है।*

सन्दर्भित विषय में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के "पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड एवम् प्रक्रिया विनियम, 2022" के अनुसार पीएच.डी. कार्यक्रम की अवधि निम्नानुसार निर्धारित की गयी है –

1. *पीएच.डी. कार्यक्रम की अवधि कम से कम तीन (3) वर्ष की होगी, जिसमें पाठ्यक्रम से सम्बन्धित कार्य (कोर्स वर्क) भी शामिल होगा तथा पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से अधिकतम अवधि छह (06) वर्ष होगी।*

2. *सम्बन्धित उच्चतर शिक्षण संस्थान के सांविधि/अध्यादेश के अनुसार पुन: पंजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम दो (02) वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है (बशर्ते कि पीएच.डी. कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से आठ (08) वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। बशर्ते कि महिला पीएच.डी. शोधार्थियों एवम् दिव्यांग व्यक्तियों (40% से अधिक विकलांगता वाले) को दो (02) वर्षों की अतिरिक्त छूट की अनुमति दी जा सकती है, हालाँकि, पीएच.डी. कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि ऐसे मामले में पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से दस (10) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।*

3. *महिला पीएच.डी. शोधार्थियों को पीएच.डी. कार्यक्रम की पूरी अवधि में 240 दिनों तक के लिए मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।*

सूचनीय है कि कोविड–19 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में विश्वविद्यालय में शोध–प्रबन्ध जमा करने की तिथि 30.06.2022 तक विस्तारित की गयी थी। उपर्युक्त समस्त तथ्यों के आलोक में सुश्री रेणु शर्मा, शोधार्थी पीएच.डी. (सत्र 2012–13), प्रदर्शनकारी कला विभाग का लम्बित पीएच.डी. प्रकरण विद्या–परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवम् निर्देशार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने सुश्री रेणु शर्मा, शोधार्थी पीएच.डी. (सत्र 2012–13), प्रदर्शनकारी कला विभाग के शोध–प्रबन्ध के मूल्यांकन प्रक्रिया को विशेष परिस्थिति में शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न कराने की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही, निर्देशित किया कि इसे भविष्य के लिए दृष्टान्त न माना जाए।

मद संख्या–09: अंशकालिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएच.डी.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत के राजपत्र दिनांक : 07 नवम्बर, 2022 में प्रकाशित विनियम 2022 (पी.एचडी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड प्रक्रिया) अधिसूचना के बिन्दु–13 में अंशकालिक पीएच.डी. के सम्बन्ध में प्रावधान हैं –

1. *अंशकालिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएच.डी. कार्यक्रमों को चलाने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी हों।*
2. *सम्बन्धित उच्चतर शिक्षण संस्थान को अंशकालिक पीएच.डी. के लिए अभ्यर्थी के माध्यम से उस संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत एक "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्राप्त करना होगा, जहाँ अभ्यर्थी कार्यरत है और जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि –*
   i. *उम्मीदवार को अंशकालिक आधार पर अध्ययन करने की अनुमति है।*
   ii. *उनके अधिकारिक कर्तव्य उन्हें शोध के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देते हैं।*
   iii. *यदि आवश्यक हुआ, तो उन्हें कोर्स वर्क पूरा करने के लिए कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा।*
3. *वर्तमान में लागू इन विनियमों अथवा किसी अन्य क़ानून से अन्तर्विष्ट किसी भी बात के बावजूद, कोई भी उच्चतर शिक्षण संस्थान या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का शोध संस्थान दूरस्थ या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से पीएच.डी. पाठ्यक्रम नहीं चलाएगा।*

उपरोक्त विनियम के प्रावधानों को लागू करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों में अंशकालिक पीएच.डी. में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

सन्दर्भित विषय में तत्काल अवलोकन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सम्बन्धित विनियम संलग्न हैं। (पृ.सं. 108–109)

निर्णय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत के राजपत्र दिनांक : 07 नवम्बर, 2022 में प्रकाशित विनियम 2022 (पी.एचडी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड प्रक्रिया) के प्रावधानों के अन्तर्गत अंशकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या–10 : स्नातक ऑनर्स में पाठ्यक्रमों को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में

विश्वविद्यालय ने परिपत्र क्रमांक 04A/प्र.प्र./1170/म.गां.अं.हि.वि.वि./2023, दिनांक 24 जुलाई, 2023 के माध्यम से विद्यार्थियों को तीसरे वर्ष में स्नातक ऑनर्स के लिए किसी एक विषय का चयन करने की अनुमति दी थी। इसी के आलोक में, सत्र 2021–24 में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों से ऑनर्स विषय के चयन हेतु विभागाध्यक्षों के माध्यम से आवेदन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में, कुल 30 आवेदन प्राप्त हैं।

यह उल्लेखनीय है कि विद्या–परिषद् की 26वीं बैठक, दिनांक 29.04.2017 की मद संख्या–04 पर ऑनर्स पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति पहले ही प्राप्त हो चुकी है। इसके अनुपालन में, कार्यालयादेश क्रं. 005/AR(AC)/2015/185, दिनांक 05.05.2017 के माध्यम से 18 ऑनर्स पाठ्यक्रमों को संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

प्राप्त आवेदनों में हिन्दी साहित्य (ऑनर्स), फिल्म अध्ययन (ऑनर्स), और नाट्यकलाशास्त्र (ऑनर्स) जैसे कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं, जो उपरोक्त कार्यालयादेश द्वारा जारी पाठ्यक्रमों की सूची में सम्मिलित नहीं हैं। अतः इन पाठ्यक्रमों को उपरोक्त सूची में सम्मिलित करते हुए, प्राप्त आवेदनों के आधार पर ऑनर्स पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णयार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : हिन्दी साहित्य (ऑनर्स), फ़िल्म अध्ययन (ऑनर्स) तथा नाट्यकलाशास्त्र (ऑनर्स) पाठ्यक्रमों को सूची में सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही, विद्या–परिषद् ने शोधार्थी एवम् विद्यार्थी प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत अंकपत्र में अंकित त्रुटियों को संज्ञान में लिया और जिन विद्यार्थियों के अंकपत्रों में विद्यापीठ अथवा अधिसत्र संख्या लेखन सम्बन्धी त्रुटियाँ पायी गयी हैं, उनके निराकरण हेतु एक समिति गठित करने के लिए कुलपति को अधिकृत करने का निर्णय लिया।

मद संख्या–11: श्री चेतन सिंह, पीएच.डी. शोधार्थी – निलम्बन आदेश निरस्तीकरण एवम् पुनः प्रवेश हेतु अनुरोध पर विचार

श्री चेतन सिंह, पुत्र श्री ईश्वर दयाल, ने दिनांक 06 अगस्त, 2014 को तुलनात्मक साहित्य विषय में पीएच.डी. कार्यक्रम (नामांकन संख्या : 2014/02/303/007) में प्रवेश लिया था।

बाद में, विश्वविद्यालय की एक छात्रा द्वारा श्री चेतन सिंह पर शारीरिक एवम् मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को थाना रामनगर (वर्धा) में एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गयी। इसके अतिरिक्त, दिनांक 05 मार्च, 2018 को छात्रा द्वारा कुलानुशासक कार्यालय में महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित एक औपचारिक शिकायत भी प्रस्तुत की गयी। इन शिकायतों के आधार पर, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दिनांक 07 मार्च, 2018 को आदेश संख्या 005/2013/DA/01/2014/621 के माध्यम से श्री चेतन सिंह को पीएच.डी. कार्यक्रम से निलम्बित कर दिया गया था।

श्री चेतन सिंह ने दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 को विश्वविद्यालय को सम्बोधित एक पत्र के माध्यम से उक्त निलम्बन आदेश को रद्द करने तथा उन्हें पुनः मान–सम्मान व छात्रवृत्ति सहित पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया।

सन्दर्भित प्रकरण में माननीय जिला न्यायालय द्वारा आदेश क्रमांक Session C.No. 47/2019(J) CNR-MHWR01–000572-2019, दिनांक 23.08.2023 को निर्गत हुआ, जिसमें कहा गया है कि –

1. *Accused Chetan Singh Ishwardayal is acquitted from the offences punishable under section 376, 417, and 506 of Indian Penal code vide section 235/1/ of code of Criminal Procedure Code–*
2. *His bail bond stands cancelled.*
3. *Accused to furnish Personal Bond and Surety Bond of Rs– 15000/& in view of compliance under section 437–A of Code of Criminal Procedure with current address proof and undertaking that he will appear before Appellate Court in case the appeal is preferred–*
4. *Judgment dictated and declared in open court.*

माननीय न्यायालय द्वारा आरोपों से दोषमुक्त किये जाने एवम् श्री चेतन सिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 27.09.2023 के आलोक में, कार्यालयादेश क्रमांक 04–A/प्र.प्र.2014-15/हिं.सा.वि.शो.नि./2058, दिनांक 16.08.2024 द्वारा उन्हें दिनांक 07 अगस्त, 2025 तक शोध–प्रबन्ध जमा करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। उल्लेखनीय है कि यह अनुमति विद्या–परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में दी गयी है।

तदनुसार, उपर्युक्त प्रकरण कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विद्या–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : माननीय न्यायालय द्वारा श्री चेतन सिंह को आरोपों से दोषमुक्त किये जाने तथा कार्यालय आदेश क्रमांक 04–A/प्र.प्र.2014-15/हिं.सा.वि.शो.नि./2058, दिनांक 16.08.2024 के माध्यम से उन्हें दिनांक 07 अगस्त 2025 तक शोध–प्रबन्ध जमा करने की अनुमति प्रदान किये जाने के परिप्रेक्ष्य में, विद्या–परिषद् ने कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–12: पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2022–23 प्रक्रिया की प्रगति, स्थगन, जाँच प्रतिवेदन एवम् यूजीसी के नवीन दिशा–निर्देशों के आलोक में आगामी अपेक्षित कार्यवाही के सम्बन्ध में

सत्र 2022–23 में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत पीएच.डी. की रिक्त सीटों को भरने के उद्देश्य से दिनांक 22 जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमन्त्रित किये गये थे। प्राप्त आवेदनों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 03, 04 एवम् 05 अक्टूबर 2023 को वर्धा मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र प्रयागराज एवम् कोलकाता में बहुविकल्पीय लिखित प्रवेश परीक्षा आयोजित की गयी थी।

परीक्षा के उपरान्त उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन माननीय कुलपति द्वारा नामित अध्यापकों द्वारा वर्धा मुख्यालय पर किया गया। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 05, 06 एवम् 07 दिसम्बर 2023 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित था, किन्तु तत्कालीन कुलपति (कार्यवाहक) डॉ. भीमराय मेत्री से दिनांक 02 दिसम्बर 2023 को प्राप्त निर्देशानुसार अपरिहार्य कारणों से साक्षात्कार स्थगित कर दिये गये।

उल्लेखनीय है कि लिखित परीक्षा के आयोजन के पश्चात् छह (06) माह की अवधि व्यतीत हो जाने के कारण, तत्कालीन माननीय कुलपति (कार्यवाहक) प्रो. कृष्ण कुमार सिंह से प्राप्त स्वीकृति (दिनांक 29.04.2024) के आधार पर पूर्ववर्ती प्रवेश प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया।

इस विषय में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 07.05.2024 को आयोजित की गयी, जिसमें समस्त अधिष्ठाताओं एवम् विभागाध्यक्षों के साथ विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि साक्षात्कार पुनः दिनांक 14, 15 एवम् 16 मई 2024 को आयोजित किये जाएँ। इसकी सूचना सम्बन्धित अभ्यर्थियों को दिनांक 09 मई 2024 को प्रेषित की गयी।

परन्तु, दिनांक 10 मई 2024 को माननीय कार्य–परिषद् सदस्य एवम् भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा मन्त्रालय से प्राप्त एक शिकायत पत्र के आलोक में परीक्षा समिति की पुनः बैठक दिनांक 13 मई 2024 को आयोजित की गयी, जिसमें निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण की जाँच हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीश, माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय (नागपुर खण्डपीठ) श्री एम. एन. गिलानी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित की जाए, जिसमें समस्त अधिष्ठाताओं को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाए। तदनुसार, दिनांक 14–16 मई 2024 को निर्धारित साक्षात्कार स्थगित कर दिये गये।

उक्त जाँच समिति द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2024 को अपनी जाँच रिपोर्ट माननीय कुलपति (कार्यवाहक) को प्रस्तुत की गयी। यह रिपोर्ट दिनांक 29 जुलाई 2024 को आयोजित परीक्षा समिति की बैठक में विचारार्थ रखी गयी। बैठक में लिये गये निर्णयों के आलोक में साक्षात्कार पुनः दिनांक 12, 13 एवम् 14 अगस्त 2024 को आयोजित किये जाने हेतु सूचना सम्बन्धित अभ्यर्थियों तथा अवर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार को दिनांक 05 अगस्त 2024 को प्रेषित की गयी।

तदनुसार, दिनांक 12 एवम् 13 अगस्त 2024 को साक्षात्कार आयोजित थे। इस बीच, दिनांक 13 अगस्त 2024 को अवर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र में निम्नलिखित निर्देश प्राप्त हुए :

"Kindly refer this Ministry's letter dated 13.08.2024 (emailed at 12:07 PM and confirmed) issued in reference to University's letter dated 05.08.2024 on the subject mentioned above. Vide this Ministry's letter dated 13.08.2024, "the University is requested to place the matter before the Academic Council and subsequently submit the decisions of the Academic Council to the Executive Council for its consideration. The matter be put on hold till the line of action suggested above is over. Till such time the interview of Ph.D (if any) be postponed immediately."

उक्त निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2024 को निर्धारित साक्षात्कार को स्थगित करते हुए मन्त्रालय को यथोचित सूचना प्रदान कर दी गयी थी। सम्बन्धित जाँच प्रतिवेदन पर संलग्न है।

इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी सार्वजनिक सूचना (No. F.4-1(UGC-NET Review Committee)/2024(NET)/140648, March 27, 2024/7 चैत्र 1946) में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) को पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा के रूप में उपयोग करने के सम्बन्ध में नवीन दिशा–निर्देश निर्गत किये हैं।

उक्त सार्वजनिक सूचना का अंश निम्नानुसार है –

"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के माध्यम से करता है। यह परीक्षा वर्ष में दो बार – जून और दिसम्बर में आयोजित की जाती है। वर्तमान में NET स्कोर का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है –
(क) जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) प्रदान करने के लिए, तथा
(ख) स्नातकोत्तर उपाधिधारी व्यक्तियों के लिए सहायक प्राध्यापक नियुक्ति हेतु पात्रता के रूप में।

अनेक विश्वविद्यालय अपने पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पृथक्-पृथक् प्रवेश परीक्षाएँ आयोजित करते हैं, जिससे छात्रों को अनेक परीक्षाएँ देनी पड़ती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में, छात्रों को एक एकल राष्ट्रीय परीक्षा के माध्यम से पीएच.डी. प्रवेश में सहायता हेतु यूजीसी ने NET की प्रावधानों की समीक्षा हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों के आधार पर, यूजीसी ने अपनी 578वीं बैठक दिनांक 13 मार्च, 2024 को यह निर्णय लिया कि शैक्षणिक सत्र 2024–25 से विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित पीएच.डी. प्रवेश परीक्षाओं के स्थान पर NET स्कोर का उपयोग पीएच.डी. प्रवेश हेतु किया जा सकेगा।

इस निर्णय के अनुसार, जून 2024 से NET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा :

श्रेणी 1: *(i) जेआरएफ के साथ पीएच.डी. में प्रवेश तथा (ii) सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र।*

श्रेणी 2: *(i) जेआरएफ के बिना पीएच.डी. में प्रवेश तथा (ii) सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र।*

श्रेणी 3: *केवल पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र; जेआरएफ या सहायक प्राध्यापक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं।"*

क्रमश: —

"नेट परीक्षा का परिणाम प्रतिशतांक (Percentile) के रूप में तथा प्राप्त अंकों के साथ घोषित किया जाएगा, ताकि अभ्यर्थी इन अंकों का उपयोग पीएच.डी. प्रवेश के लिए कर सकें।

जेआरएफ (JRF) पात्र अभ्यर्थियों को यूजीसी के पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक एवम् प्रक्रिया विनियम, 2022 के अनुरूप साक्षात्कार के आधार पर पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा।

श्रेणी 2 एवम् 3 में पात्र छात्रों के लिए, लिखित परीक्षा के अंक हेतु 70% वेटेज तथा साक्षात्कार हेतु 30% वेटेज निर्धारित किया गया है। पीएच.डी. में प्रवेश, नेट परीक्षा के अंकों और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के सम्मिलित मेरिट के आधार पर होगा।

श्रेणी 2 एवम् 3 में NET द्वारा प्राप्त अंक पीएच.डी. प्रवेश के लिए एक वर्ष की अवधि तक मान्य होंगे।"

उपर्युक्त सम्पूर्ण तथ्यों एवम् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नवीन दिशा–निर्देशों के दृष्टिगत सत्र *2022–23 तथा शेष समस्त अकादमिक वर्ष की पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय एवम् आगामी कार्यवाही के* निर्धारण हेतु विद्या–परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश, माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय (नागपुर खण्डपीठ) श्री एम. एन. गिलानी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय जाँच समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लिया तथा निर्देश दिया कि सम्पूर्ण पीएच.डी. प्रवेश प्रकरणों में आगे की कार्यवाही विधिक परामर्श प्राप्त कर, समस्त नियमों का पालन करते हुए की जाए और विषय को कार्य–परिषद् के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाए।

मद संख्या–13: विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाणपत्रों के सत्यापन हेतु शुल्क निर्धारण

विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में प्रमाणपत्रों के सत्यापन हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए अलग–अलग शुल्क लिया जाता है। इसके आधार पर, निम्नलिख़ित शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव है :

1. विगत 10 वर्षों में जारी किये गये प्रमाणपत्रों के सत्यापन हेतु : ₹150/- प्रति प्रमाणपत्र (उपाधि, अंकपत्र, अस्थायी प्रमाणपत्र आदि)
2. दस वर्ष से पूर्व जारी किये गये प्रमाणपत्रों के लिए : ₹500/- प्रति प्रमाणपत्र (उपाधि, अंकपत्र, अस्थायी प्रमाणपत्र आदि)
3. सरकारी संस्थाओं से : कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
4. विदेशी विद्यार्थियों से : $100 प्रति प्रमाणपत्र शुल्क निर्धारित किया जा सकता है।

उक्त शुल्क निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या–परिषद ने बिन्दु संख्या 04 में 'विदेशी विद्यार्थियों के संबंध में' संशोधन करते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–14: आन्तरिक मूल्यांकन सेमिनार, टर्म पेपर (सत्रीय पत्र), मौखिकी, परियोजना कार्य इत्यादि के आन्तरिक अंक सम्बन्धी प्रपत्र

पूर्व में विद्या–परिषद् में अनुमोदित प्रारूप :–

क्र. सं.	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी का पंजीयन क्रमांक	कक्षा में सतत मूल्यांकन (06 अंक)	उपस्थिति (06 अंक)	सेमिनार (08 अंक)	सत्रीय पत्र (10 अंक)	कुल प्राप्तांक (उत्तीर्णांक 12 अंक)

प्रस्तावित प्रारूप :–

क्र. सं.	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी का पंजीयन क्रमांक	कक्षा में सतत मूल्यांकन (10 अंक)	सेमिनार (10 अंक)	सत्रीय पत्र (10 अंक)	कुल प्राप्तांक	टिप्पणी (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण)

उक्त प्रस्तावित शुल्क संरचना विद्या–परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवम् अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने 75% उपस्थिति अनिवार्य करते हुए निम्न प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की।

क्र. सं.	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी का पंजीयन क्रमांक	कक्षा में सतत मूल्यांकन (05 अंक)	उपस्थिति (05 अंक)	सेमिनार (10 अंक)	सत्रीय पत्र (10 अंक)	कुल प्राप्तांक (उत्तीर्णांक 12 अंक)

विद्या–परिषद् ने यह भी निर्धारित किया कि प्रत्येक विद्यार्थी से केवल एक–एक सेमिनार एवम् सत्रीय पत्र लिया जाएगा। सत्र 2025–26 से आन्तरिक परीक्षाएँ सत्र समापन से पूर्व सम्पन्न करायी जाएँगी। विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा आन्तरिक मूल्यांकन के अंक विभागीय सूचना पट्ट पर यथासमय अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किये जाएँगे।

मद संख्या–15: स्नातक कार्यक्रमों हेतु क्रेडिट निर्धारण एवम् नवीन पाठ्य–संरचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत स्नातक स्तर के शिक्षण कार्यक्रमों के लिए Curriculum and Credit Framework (CCF–UG) जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक लचीलापन, क्रेडिट संचयन/हस्तांतरण की सुविधा तथा कौशल-आधारित शिक्षण को प्रोत्साहित करना है।

उक्त सन्दर्भ में, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक कार्यक्रमों की पाठ्य–संरचना को CCF–UG के अनुरूप पुनः विन्यस्त करने हेतु, कार्यालयादेश क्रमांक 04डी/अका.वि./2023-24/02/2293, दिनांक 10.09.2024 के माध्यम से एक पाठ्यचर्या पुनरावलोकन समिति का गठन किया गया था।

समिति द्वारा गहन विचार–विमर्श उपरान्त तैयार की गयी नवीन पाठ्य–संरचना को शैक्षणिक सत्र 2025–26 से प्रभावी रूप से लागू किया जाना प्रस्तावित है।

तदनुसार, विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों में *UGC द्वारा प्रदत्त पाठ्यक्रम एवम् क्रेडिट रूपरेखा* के अनुरूप संशोधित पाठ्य–संरचना को अनुमोदनार्थ विद्या–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने स्नातक कार्यक्रमों हेतु क्रेडिट निर्धारण एवम् नवीन पाठ्य–संरचना को स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–16: एम.फिल. शोध मूल्यांकन एवम् मौखिकी परीक्षा : सुश्री चंचल कुमारी (सत्र 2019–21) प्रकरण

सुश्री चंचल कुमारी, शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र), ने एम.फिल. सत्र 2019–21 हेतु दिनांक 20 जुलाई, 2019 को विश्वविद्यालय में पंजीकरण कराया था। विश्वविद्यालय के एम.फिल. अध्यादेश, जिसे विद्या–परिषद् की 32वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था, के अनुसार एम.फिल. कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि चार (04) सेमेस्टर (दो शैक्षणिक वर्ष) निर्धारित है।

विदित हों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के अन्तर्गत वर्ष 2022 से विश्वविद्यालय में एम.फिल. कार्यक्रम में प्रवेश नहीं किये जा रहे हैं।

इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त शोधार्थी की लघु शोध (Dissertation) की खुली मौखिकी परीक्षा दिनांक 21 फरवरी, 2024 को सम्पन्न हुई, जो उनके पंजीकरण की तिथि के लगभग साढ़े चार (4½) वर्ष पश्चात् सम्पन्न हुई।

उक्त विलम्ब एवम् वर्तमान नीतिगत परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए, विषयक प्रकरण विचार–विमर्श तथा आवश्यक दिशा–निर्देश हेतु विद्या–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने संज्ञान लिया कि शोधार्थी की मौखिकी सम्पन्न हो चुकी है, अतः इस विषय पर पुनः चर्चा करना समीचीन नहीं समझा और स्वीकृति प्रदान की। साथ ही, निर्देशित किया कि इसे भविष्य के लिए दृष्टान्त न माना जाए।

मद संख्या–17: विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.एड.–एमएड. (एकीकृत कार्यक्रम) को एम.ए. शिक्षाशास्त्र के समतुल्यता के सम्बन्ध में।

बीएड.–एमएड. (एकीकृत कार्यक्रम) में अध्ययनरत विद्यार्थियों से प्राप्त आवेदन के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संलग्न निर्णय Civil Appeal No. 2850 of 2020 के पृष्ठ 37 पर प्राप्त विवरण –

"The UGC has also taken a stand that insofar as the two degrees are concerned, both are postgraduate degrees, and the equivalence authority being respondent No.5 has also opined on the basis of an expert committee, that the two can be treated as equivalent for the post of Assistant Professor in Education"

— तथा विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग एवम् अधिष्ठाता, शिक्षा विद्यापीठ से प्राप्त अभिमत के अनुसरण में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.एड.–एमएड. (एकीकृत कार्यक्रम) को एम.ए. शिक्षाशास्त्र के समतुल्य माने जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना क्रमांक 04ए/प्र.प्र./सामान्य पत्रावली /2024-25/2697, दिनांक 17.04.2025 विद्या–परिषद् की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में निर्गत की गयी है।

तदनुसार समतुल्यता सम्बन्धी प्रकरण विद्या–परिषद् की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने इस प्रकरण को कार्य–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

मद संख्या–18: विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक एवम् परास्नातक कार्यक्रमों में विदेशी छात्रों के लिए सीटें निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी जनसूचना क्रमांक F.No–1-2/2023 (IC) दिनांक 26 अप्रैल 2024 के अनुसार —

"In order to facilitate the internationalization of India HEIs, the University Grants Commission has framed the guidelines for admission and creation of supernumerary seats for international students in Undergraduate and Postgraduate Programmes in HEIs in India, the guidelines were circulated earlier by UGC to all HEIs for its implementation vide its letter D.O.No.F.1–1/2022 (CPP&II), dated 30th September, 2022 (copy enclosed). As per the guidelines HEIs may create up to 25% supernumerary seats for international students, over and above of their total sanctioned enrolment for Undergraduate and Postgraduate Programmes"

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक एवम् परास्नातक कार्यक्रमों में स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त विदेशी छात्रों हेतु 25% सीटों के सृजन का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक एवम् परास्नातक कार्यक्रमों में स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त विदेशी छात्रों हेतु 25% सीटों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–19: शैक्षणिक सत्र 2024–25 से संचालित योग विषयक परास्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम : कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत

मनोविज्ञान विभाग, महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024–25 से योग विषय में परास्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को अध्ययन मण्डल एवम् स्कूल बोर्ड से आवश्यक शैक्षणिक अनुमोदन प्राप्त है।

उक्त कार्यक्रम हेतु विद्यार्थियों से प्राप्त आवेदनों एवम् अधिष्ठाता, शिक्षा विद्यापीठ से प्राप्त सकारात्मक टिप्पणियों के आलोक में कार्यक्रम का संचालन प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान में यह कार्यक्रम अतिथि संकाय सदस्यों (Guest Faculty) के माध्यम से संचालित हो रहा है।

शैक्षणिक प्रक्रियाओं के यथोचित पालन के उपरान्त प्रारम्भ किया गया योग विषयक परास्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम (सत्र 2024–25) विद्या–परिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने शैक्षणिक सत्र 2024–25 से प्रारम्भ किये गये योग विषयक परास्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–20: विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2025–26 में विधि परास्नातक (एल.एल.एम.) कार्यक्रम का संचालन

विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2025–26 में विधि परास्नातक (एल.एल.एम.) कार्यक्रम संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु कार्यक्रम शुल्क निर्धारण के लिये समिति गठित की गयी थी। समिति से प्राप्त अनुशंसा के अनुसरण में निम्नानुसार कार्यक्रम शुल्क निर्धारित किये जाने की स्वीकृति एवम् कार्यक्रम संचालन के सम्बन्ध में विचारार्थ प्रस्तुत –

शुल्क मद/ कार्यक्रम का नाम	सेमेस्टर	प्रवेश शुल्क	शिक्षण शुल्क (प्रति सेमेस्टर)	सुरक्षा राशि (प्रतिदेय)	परीक्षा शुल्क (प्रति सेमेस्टर)	स्टूडियो/ प्रयोगशाला/ क्षेत्र कार्य/शैक्षणिक भ्रमण	पुस्तकालय शुल्क (प्रति सेमेस्टर)	सांस्कृतिक कार्यक्रम (वार्षिक)	खेलकूद शुल्क (वार्षिक)	परिचय पत्र शुल्क	इंटरनेट शुल्क (प्रति सेमेस्टर)	चिकित्सा शुल्क (वार्षिक)	विद्यार्थी कल्याण कोष (वार्षिक)	कुल
एल.एल.एम.	प्रथम	1000/–	6000/–	1000/–	375/–	विभाग/केन्द्र द्वारा आवश्यकतानुसार शुल्क निर्धारित किया जाएगा।	150/–	50	50	80	600/–	50	100/–	9455/–
	द्वितीय		6000/–		375/–		150/–	–	–		600/–	–	–	7125/–
	तृतीय		6000/–		375/–		150/–	50	50		600/–	50	100/–	7375/–
	चतुर्थ		6000/–		375/–		150/–	–	–		600/–	–	–	7125/–

निर्णय : विद्या–परिषद् ने यह निर्णय किया कि विधि विभाग के लिए आवश्यक पदों की माँग की जाए और पद स्वीकृत होने के उपरान्त विधि में परास्नातक कार्यक्रम (एल.एल.एम.) प्रारम्भ करने पर विचार किया जाए। इस विषय को कार्य–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, नियमानुसार पीएच.डी. कार्यक्रम के संचालन को स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या–21: श्री अभिषेक कुमार, एम.सी.ए., सत्र 2022–24 को तृतीय अधिसत्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति के सन्दर्भ में

भाषा प्रौद्योगिकी एवम् भाषा अभियान्त्रिकी विभाग के एम.सी.ए. सत्र 2022–24 के छात्र श्री अभिषेक कुमार ने प्रथम एवम् द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएँ सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की हैं। तृतीय सेमेस्टर परीक्षा के आयोजन के समय परीक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति की जानकारी विभाग से प्राप्त की गयी, जिसमें पाया गया कि श्री अभिषेक कुमार की उपस्थिति 50% से कम थी। नियमानुसार वह परीक्षा में सम्मिलित होने के अर्ह नहीं थे।

तथापि, दिनांक 12.01.2024 को श्री अभिषेक कुमार द्वारा चिकित्सकीय प्रमाणपत्र (Medical Certificate) प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रमाणपत्र के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्या–परिषद् की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में, छात्र को तृतीय सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने की अस्थायी अनुमति प्रदान की गयी। परीक्षा परिणाम के प्रकाशन में यह टिप्पणी की गयी है कि विद्या–परिषद् की स्वीकृति के लिए परीक्षा परिणाम रोका गया है। तृतीय सेमेस्टर परीक्षा के पश्चात् छात्र ने चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दी है।

स्वास्थ्य कारणों से हुई उपस्थिति में कमी को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रस्तुत चिकित्सकीय प्रमाणपत्र के आलोक में, श्री अभिषेक कुमार के तृतीय सेमेस्टर परीक्षा परिणाम को स्वीकृत किये जाने अथवा अन्य कोई निर्णय लिये जाने हेतु, यह प्रकरण विद्या–परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवम् निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने स्वास्थ्य कारणों से हुई उपस्थिति में कमी के दृष्टिगत तथा प्रस्तुत चिकित्सकीय प्रमाणपत्र के आलोक में परीक्षा में बैठने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–22: दूर शिक्षा निदेशालय के आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र (CIQA) समिति की बैठक का कार्यवृत्त : सम्पुष्टि हेतु प्रस्तुत

दूर शिक्षा निदेशालय के आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र (CIQA) समिति की बैठक दिनांक 25.06.2025 को कक्ष संख्या–101 (सभा कक्ष), दूर शिक्षा निदेशालय में आयोजित की गयी। बैठक में कार्यसूची के अन्तर्गत कुल सात (07) मदों पर विचार–विमर्श किया गया।

उक्त बैठक का कार्यवृत्त, पृ.सं. 177–184 पर विद्या–परिषद् के समक्ष अवलोकन एवम् अनोमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : दूर शिक्षा निदेशालय के आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र (CIQA) की बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।

मद संख्या–23: दूर शिक्षा निदेशालय में प्रवेशित विद्यार्थियों के पुन: पंजीकरण (Re–registration) से सम्बन्धित प्रकरण

दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में ऐसे विद्यार्थी प्रवेशित रहे हैं, जो कोविड–19 महामारी के दौरान अथवा अन्य कारणों से कार्यक्रम की निर्धारित अधिकतम समयावधि के भीतर अध्ययन पूर्ण नहीं कर सके। ऐसे विद्यार्थियों को क्रेडिट स्थानान्तरण के माध्यम से पुनः–पंजीकरण (Re–registration) का अवसर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

उपरोक्त सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा समय–समय पर ऐसे विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त होते रहे हैं, जो निर्धारित अधिकतम अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी कार्यक्रम पूर्ण करने की इच्छा रखते हैं। उक्त आवेदनों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (DEB–UGC) को पुनः–पंजीकरण के माध्यम से कार्यक्रम पूर्ण करने का अवसर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया था।

प्राप्त उत्तर में, DEB–UGC के पत्रांक 15-1/2024(DEB-1), दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 के अनुसार निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है :

"With reference to the above-mentioned subject, I am directed to inform you that UGC (ODL) Programmes, Regulations, 2017 has no regulations, regarding minimum and maximum duration of completion of programmes. However, Regulation 13 (A) (2) of UGC (ODL Programmes & Online Programmes) Regulations, 2020 stipulates as under:

Minimum and Maximum Duration of Programme:

i. The minimum duration for completion and award of degree at the undergraduate and postgraduate levels in Open and Distance Learning mode shall be in accordance with the UGC notification if specification of degree, 2014;

ii. The minimum duration for completion and award of post graduate diploma shall be two years;

iii. The maximum duration for completion and award of degree at the undergraduate and postgraduate levels or post graduate diploma in Open and Distance Learning mode and Online mode shall be double the minimum duration of the respective programmes as per items (i) and (ii)."

Further, it is also to the informed that UGC has not published any guidelines during pandemics for maximum duration for completion and award of degree at the undergraduate and postgraduate levels or post graduate diploma level"

उपरोक्त के आलोक में, चूँकि सभी सम्बन्धित विद्यार्थी वर्ष 2020 से पूर्व पंजीकृत हैं तथा DEB द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि UGC (ODL) Regulations, 2017 में कार्यक्रम पूर्ण करने की न्यूनतम एवम् अधिकतम अवधि सम्बन्धी कोई विनियम नहीं हैं, अतः ऐसे विद्यार्थियों को पुनः पंजीकरण शुल्क निर्धारित करते हुए एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

तदनुसार, प्रस्तुत है कि पुनः–पंजीकरण की प्रक्रिया तथा शुल्क निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय के वरिष्ठ संकाय सदस्य, निदेशक–दूर शिक्षा तथा परीक्षा अनुभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए एक समिति गठित की जाए, जो इस विषय में *विस्तृत अनुशंसा* प्रस्तुत करे, ताकि अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

निर्णय : दूर शिक्षा निदेशालय के प्रबन्धन बोर्ड में विचार–विमर्श करने के उपरान्त प्रस्तुत विषय को पुनः आगामी विद्या–परिषद् की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या–24: प्रवेश समिति की बैठकों के कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय में अकादमिक सत्र 2025–26 में प्रवेश के सम्बन्ध में गठित प्रवेश समिति की दिनांक 05.12.2024 और 12.12.2024 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त अवलोकन एवम् अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं।

निर्णय : प्रभारी, क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता, अकादमिक निदेशक, प्रयागराज तथा प्रभारी, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी मराठी भाषा तथा तत्त्वज्ञान अध्ययन केन्द्र, रिद्धपुर, अमरावती (महाराष्ट्र) द्वारा पाठ्यचर्याओं को अतिरिक्त कक्षाओं का अयोजन करते हुए निर्धारित अवधि में पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन को देखते हुए सत्र 2025-26 के लिए 'खुली प्रवेश' प्रक्रिया को दिनांक 04.08.2025 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या–25: अंकपत्र प्रारूप में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/केन्द्रों के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से अंकपत्र के प्रारूप में संशोधन से सम्बन्धित अनुरोध प्राप्त हुए थे। इस सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 13.12.2024 को जारी अधिसूचना के माध्यम से एक समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

साथ ही, इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना आवश्यक है कि शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर विश्वविद्यालय को 'समर्थ पोर्टल' के परीक्षा–सम्बन्धी मॉड्यूल को लागू करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त निर्देशों

के अनुपालन में, विद्यार्थियों के प्राप्तांक/टेबुलेशन को 'समर्थ पोर्टल' पर प्रविष्ट किया जा रहा है, जो सम्बन्धित विद्यार्थियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है।

समर्थ पोर्टल से प्राप्त इन विवरणों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में मुद्रित कर अंकपत्र के रूप में जारी किया जा सकता है।

निर्णय : अंकपत्र प्रारूप में संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–26: पूर्व वर्ष के दोनों सेमेस्टरों में उत्तीर्णता के सम्बन्ध में प्रस्ताव

यह देखा गया है कि कुछ विद्यार्थी प्रथम वर्ष (प्रथम एवम् द्वितीय सेमेस्टर) के सभी प्रश्न–पत्रों में उत्तीर्ण हुए बिना, द्वितीय वर्ष (तृतीय एवम् चतुर्थ सेमेस्टर) में केवल 50% प्रश्न–पत्रों में उत्तीर्णता के आधार पर प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं। परिणामस्वरूप, कई विद्यार्थी पंचम एवम् षष्ठ सेमेस्टर तक पहुँच जाने के बाद भी प्रथम, द्वितीय एवम् तृतीय सेमेस्टर के विभिन्न प्रश्न–पत्रों में अनुत्तीर्ण रहते हैं, जिससे उनकी डिग्री पूर्णता में अनावश्यक विलम्ब होता है और परीक्षा अनुभाग पर प्रशासनिक दबाव भी बढ़ता है।

उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्तावित है कि —

प्रथम वर्ष (प्रथम एवम् द्वितीय सेमेस्टर) के सभी प्रश्न–पत्रों में उत्तीर्ण हुए बिना किसी भी विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति न दी जाए।

उक्त प्रस्ताव, परीक्षा की गुणवत्ता एवम् शैक्षणिक अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, विचारार्थ/अनुमोदनार्थ विद्या–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : प्रथम वर्ष (प्रथम एवम् द्वितीय अधिसत्र) के सभी प्रश्न–पत्रों में उत्तीर्ण हुए बिना द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति न दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–27: ट्रांसक्रिप्ट का प्रारूप में संशोधन करने के सम्बन्ध में

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ट्रांसक्रिप्ट का प्रारूप अलग–अलग सेमेस्टरों के अनुसार प्रविष्ट किया जाता है। इसे अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की भाँति, जिसमें एक ही पृष्ठ पर समस्त सेमेस्टरों का विवरण हो, संशोधन किये जाने पर विचार किया जा सकता है। प्रारूप अवलोकनार्थ संलग्न है।

निर्णय : अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की भाँति, एक ही पृष्ठ पर समस्त अधिसत्रों के विवरण के साथ ट्रांसकिप्ट के प्रारूप में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–28: परीक्षा सम्बन्धी कार्य हेतु मानदेय के सम्बन्ध में

पिछली परीक्षाओं के सन्दर्भ में परीक्षा सम्बन्धी कार्यों हेतु विभिन्न दायित्वों के लिए किसी कर्मी/अध्यापक द्वारा मानदेय के लिए दावा प्रस्तुत किये जाने पर उसका भुगतान पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक : 04/परी/वि.भु./म.गां.अं.हिं.वि.वि./2022-23/2968 दिनांक 13.03.2024 के अनुसार निर्धारित दरों से किये जाने पर विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : इस सम्बन्ध में दिनांक 21.06.2025 को सम्पन्न वित्त समिति की बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या–29: सुश्री आरती, शोधार्थी, पीएच.डी. की खुली मौखिकी कराने के सम्बन्ध में

डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर सिदो–कान्हू–मुर्मू दलित एवम् जनजातीय अध्ययन केन्द्र के अन्तर्गत पीएच.डी. शोधार्थी सुश्री आरती के शोध निर्देशक प्रो. लेला कारूण्यकरा के दिनांक 25.04.2024 से निलम्बित होने के कारण, शोधार्थी की खुली मौखिकी आयोजित किये जाने के विषय में निर्णय लेने हेतु यह प्रकरण विद्या–परिषद् की आकस्मिक 44वीं बैठक, दिनांक 20.09.2024, मद संख्या–1 के रूप में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था।

उक्त सन्दर्भ में विद्या–परिषद् द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया था :

"विद्या–परिषद् ने विचार–विमर्श के उपरान्त विभागाध्यक्ष/अधिष्ठाता को मौखिकी (Viva–Voce) आयोजित कराने के लिए अधिकृत किया।"

तदुपरांत, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् यह विचार किया गया कि शोध निर्देशक प्रो. लेला कारूण्यकरा का दिनांक 25.04.2024 से निलम्बन प्रभावी है। अतः पीएच.डी. अधिसूचना में शोध निर्देशक के रूप में उनके उल्लेख के सम्बन्ध में विधिक परामर्श प्राप्त करने हेतु, विश्वविद्यालय द्वारा नामित अधिवक्ता श्री हरीश चांडक को पत्रांक: 014/Dean/SC/2024/आरती/01/281, दिनांक 20.02.2025 के माध्यम से मामला सन्दर्भित किया गया।

इस प्रकरण पर दिनांक 21.05.2025 को विस्तृत विधिक राय प्राप्त हुई है। (पृ.सं. 188–190)

उक्त के आलोक में, सुश्री आरती, पीएच.डी. शोधार्थी की खुली मौखिकी आयोजित किये जाने एवम् मौखिकी सम्पन्न होने के उपरान्त पीएच.डी. अधिसूचना में प्रो. लेला कारूण्यकरा को शोध निर्देशक के रूप में उल्लिखित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णयार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : इस सम्बन्ध में मद संख्या–01 के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या–30: शैक्षणिक सत्र 2025–26 की विवरणिका (स्नातक एवम् परास्नातक) : कार्योत्तर स्वीकृति

विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए संचालित समस्त स्नातक एवम् परास्नातक कार्यक्रमों हेतु विवरणिका (Prospectus) तैयार की गयी है।

उक्त विवरणिका में विश्वविद्यालय का परिचय, समस्त विद्यापीठों, विभागों, संस्थानों एवम् क्षेत्रीय केन्द्रों का संक्षिप्त परिचय, संचालित एवम् प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रमों का विवरण, शुल्क संरचना, प्रवेश नियम, रैगिंग निषेध सम्बन्धी दिशानिर्देश, दूर शिक्षा निदेशालय का परिचय एवम् उसके अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम, विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ, एन.एस.एस., एन.सी.सी., अद्यतन अकादमिक कैलेंडर (2025–26) तथा अन्तरराष्ट्रीय विद्यार्थियों हेतु हिन्दी कार्यक्रम आदि को समाहित किया गया है।

उक्त विवरणिका सक्षम प्राधिकारी के अनमोदनोपरान्त शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु वितरित/प्रसारित की जा चुकी है। विद्या–परिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : शैक्षणिक सत्र 2025–26 की विवरणिका (स्नातक एवम् परास्नातक) को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या–31: समेकित समय–सारिणी (Academic Schedule) का अनुमोदन

शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु विश्वविद्यालय के समस्त विभागों एवम् कार्यक्रमों की समेकित समय–सारिणी तैयार करने के उद्देश्य से, शिक्षण कार्यों में अनुशासन, समय के कुशल प्रबन्धन तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु, कार्यालयादेश क्रमांक 04ए/अ.वि./समय सारिणी सम्बन्धी/2025–26/27, दिनांक 14.05.2025 के माध्यम से एक समिति का गठन किया गया था।

समिति से प्राप्त अनुशंसाओं के आधार पर समेकित समय–सारिणी का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। यह समय–सारिणी वर्धा मुख्यालय सहित समस्त क्षेत्रीय केन्द्रों पर समान रूप से लागू होगी तथा पूरी तरह अपरिवर्तनीय होगी।

शिक्षा विभाग एवम् विधि विद्यापीठ की स्वतन्त्र समय–सारिणी पूरक रूप में अलग से जारी की जाएगी।

मेस सम्बन्धी व्यवस्था भी प्रस्तावित समय–सारिणी के अनुरूप सुनिश्चित की जाएगी।

उक्त समेकित समय–सारिणी विद्या–परिषद् के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : समेकित समय-सारिणी को स्वीकृति प्रदान की गयी, तथापि क्षेत्रीय केन्द्र प्रयागराज, कोलकाता एवम् अन्य की प्रासंगिक परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार परिवर्तन हेतु अनुमति प्रदान की गयी।

मद संख्या–32: प्रवेश क्षमता की पुनर्समीक्षा हेतु समिति गठन का प्रस्ताव

वर्तमान में, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त शैक्षणिक कार्यक्रमों, यथा – स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र आदि में निर्धारित प्रवेश क्षमता (Intake Capacity) की पुनः समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि समय–समय पर विद्या–परिषद् की स्वीकृति से प्रवेश क्षमता में वृद्धि अथवा कटौती की जाती रही है, जैसे : विद्या–परिषद् की 27वीं बैठक की मद संख्या–11, सत्र 2018–19 एवम् 42वीं बैठक की मद संख्या–08।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के लागू होने के पश्चात् सत्र 2022–23 से विश्वविद्यालय में सीयूईटी (CUET) परीक्षा के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। उस वर्ष विश्वविद्यालय को स्नातक कार्यक्रमों हेतु 32,062, परास्नातक कार्यक्रमों हेतु 49,228 प्रथम वरीयता वाले आवेदन प्राप्त हुए थे।

उक्त आंकड़ों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि की गयी थी। यद्यपि सीटें बढ़ाई गयीं, किन्तु प्रवेश की संख्या अपेक्षाकृत कम रही तथा आगामी वर्षों में भी यह स्थिति स्थिर या घटती हुई रही है।

इस स्थिति से भविष्य में नैक (NAAC) मूल्यांकन एवम् अन्य शैक्षणिक नियामक एजेंसियों की दृष्टि से चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। अतः, वर्तमान परिदृश्य के दृष्टिगत प्रस्तावित है कि — विश्वविद्यालय में संचालित समस्त शैक्षणिक कार्यक्रमों की प्रवेश क्षमता की पुनर्समीक्षा हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाए, जो आवश्यक अनुशंसाएँ प्रस्तुत करे।

उक्त प्रस्ताव विद्या–परिषद् के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : प्रवेश क्षमता की पुनर्समीक्षा हेतु समिति गठित करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

मद संख्या–33: शैक्षणिक सत्र 2026–27 से प्रभावी नयी शुल्क संरचना निर्धारण हेतु समिति गठन का प्रस्ताव

विद्या–परिषद् की विशेष (42वीं) बैठक की मद संख्या–07 के अन्तर्गत, शैक्षणिक सत्र 2022–23 से संचालित नियमित कार्यक्रमों के लिए निर्धारित शुल्क संरचना में संशोधन किया गया था, जिसे विद्या–परिषद् द्वारा संज्ञान में लिया गया था।

वर्तमान परिवर्तित शैक्षणिक, प्रशासनिक एवम् वित्तीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत प्रस्तावित है कि शैक्षणिक सत्र 2026–27 से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों की शुल्क संरचना पर पुनर्विचार किया जाए। इस सन्दर्भ में, निम्नलिखित शुल्कों की यथोचित समीक्षा एवम् पुनर्निर्धारण हेतु एक समिति का गठन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है :

- शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क
- प्रवजन प्रमाणपत्र शुल्क
- छात्रावास शुल्क
- इंटर्नशिप शुल्क
- इंटरनेट शुल्क
- स्टूडियो, प्रयोगशाला, क्षेत्र कार्य एवम् शैक्षणिक भ्रमण से सम्बन्धित विभागीय/केन्द्रीय शुल्क

उक्त समिति विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं, विद्यार्थियों की सुविधा तथा व्यावहारिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए शुल्क निर्धारण की स्पष्ट अनुशंसाएँ प्रस्तुत करेगी।

यह प्रस्ताव विचारार्थ एवम् अनुमोदनार्थ विद्या–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने यह निर्णय लिया कि शैक्षणिक सत्र 2026–27 से प्रभावी नयी शुल्क संरचना में स्टूडियो, प्रयोगशाला, क्षेत्र कार्य एवम् शैक्षणिक भ्रमण से सम्बन्धित विभागीय/केन्द्रीय शुल्क के अतिरिक्त आईसीटी शुल्क भी सम्मिलित किया जाए। साथ ही, उक्त शुल्क के निर्धारण हेतु समिति गठित करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

मद संख्या–34: प्रवेश नीति के पुनर्निर्धारण हेतु समिति गठन का प्रस्ताव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रियाओं में नवाचार, समावेशिता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। तदनुसार यह आवश्यक हो गया है कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2026–27 से प्रभावी प्रवेश नीति में उपयुक्त संशोधन करे तथा वर्तमान परिवेश के अनुरूप नवीन दिशा–निर्देशों का निर्माण करे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह प्रस्तावित है कि — विश्वविद्यालय की वर्तमान प्रवेश नीति की समीक्षा एवम् नवीन प्रवेश दिशा–निर्देशों के निर्माण हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए।

यह समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रावधानों, क्षेत्रीय आवश्यकताओं तथा संस्थागत संसाधनों को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक और उपयुक्त अनुशंसाएँ प्रस्तुत करेगी।

उक्त प्रस्ताव विद्या–परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवम् अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : समिति गठित करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

मद संख्या–35: शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए अकादमिक कैलेन्डर के अनुमोदन का प्रस्ताव

दिनांक 23.07.2025 को जारी अधिसूचना पत्रांक : अकादमिक विभाग/विवरणिका/2025–26/2832, के अनुसरण में, सत्र नियमितीकरण की दृष्टि से विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु अद्यतन अकादमिक कैलेन्डर तैयार किया गया है। इस कैलेन्डर में निम्नलिखित बिन्दुओं को समाहित किया गया है —

- पाठ्यक्रम संचालन की समय-सीमा

- मूल्यांकन प्रक्रिया
- परीक्षा अनुसूची
- निर्धारित अवकाश
- अन्य सहगामी एवम् सह-पाठ्य गतिविधियाँ

यह कैलेन्डर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, समयबद्ध शैक्षणिक प्रशासन एवम् सुनियोजित शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। विद्या–परिषद् की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात्, सम्बन्धित विभागों/केन्द्रों एवम् अधिकारियों को क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये जा सकते हैं।

उक्त प्रस्ताव (अकादमिक कैलेंडर) विचारार्थ एवम् अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : शैक्षणिक सत्र 2025–26 के अकादमिक कैलेण्डर का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या–36: प्रस्तावित नये कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुमोदन का प्रस्ताव

विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित भारतीय कला एवम् सांस्कृतिक विरासत पर आधारित नवीन शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन की योजना प्रस्तावित है —

- चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम :
  - संगीत (कण्ठ/वोकल)
  - चित्रकला
  - नृत्य (कथक एवम् भरतनाट्यम)
  - वादन (तबला, सितार, वीणा)
- छह माह का प्रमाण–पत्र कार्यक्रम :
  - अभिनय

उक्त कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय पारम्परिक कलाओं से जोड़ना तथा उन्हें व्यावसायिक दक्षता प्रदान करना है, जिससे वे शैक्षणिक के साथ–साथ सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध हो सकें।

उपरोक्त प्रस्तावित कार्यक्रम विद्या–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने अभिनय कार्यक्रम की अवधि एक वर्ष निर्धारित करते हुए नये कार्यक्रमों के संचालन को स्वीकृति प्रदान की तथा आवश्यक पदों के सृजन का विषय, 43वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में, कार्य–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय किया।

मद संख्या–37: सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी मराठी भाषा तथा तत्वज्ञान अध्ययन केन्द्र, रिद्धपुर, अमरावती (महाराष्ट्र) में योग एवम् स्वास्थ्य में परास्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव पर विचार

सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी मराठी भाषा तथा तत्वज्ञान अध्ययन केन्द्र, रिद्धपुर, अमरावती (महाराष्ट्र) द्वारा योग एवम् स्वास्थ्य विषय में परास्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त पाठ्यक्रम भारतीय परम्परागत ज्ञान–परम्परा, विशेषतः योग के शारीरिक, मानसिक एवम् आध्यात्मिक लाभों पर आधारित है, तथा यह वर्तमान स्वास्थ्य–केन्द्रित सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप तैयार किया गया है।

यह प्रस्ताव विद्या–परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवम् अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी मराठी भाषा तथा तत्त्वज्ञान अध्ययन केन्द्र, रिद्धपुर, अमरावती (महाराष्ट्र) में मनोविज्ञान विभाग के अन्तर्गत योग एवम् स्वास्थ्य में परास्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु विद्या–परिषद् ने स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–38: राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत बहुस्तरीय प्रवेश एवम् निर्गमन प्रणाली के लिए समिति गठन पर विचार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2025 को प्रकाशित अधिसूचना "Undergraduate and Postgraduate Degree-Awarding Minimum Standards of Instruction and Certification Regulations" (स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के लिए अनुदेश के न्यूनतम मानदण्ड) के विनियम 11.0 के अन्तर्गत उपाधि की अवधि एवम् प्रमाणन हेतु बहुस्तरीय प्रवेश एवम् निर्गमन (Multiple Entry and Exit) प्रणाली का उल्लेख किया गया है।

उक्त के सुचारु कार्यान्वयन तथा आवश्यक नियम, प्रक्रियाएँ एवम् अकादमिक प्रावधान तैयार करने के लिए समिति गठन किया जाना आवश्यक है।

तदनुसार, समिति गठन हेतु विद्या–परिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय : राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत बहुस्तरीय प्रवेश एवम् निर्गमन प्रणाली के लिए समिति गठित करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

मद संख्या–39: श्री अमित गौरव, बी.एड.-एम.एड. एकीकृत को पाठ्यक्रम अवधि विस्तार

बी.एड.-एम.एड. एकीकृत के सत्र: 2016-19 के छात्र श्री अमित गौरव के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि इस पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश विवरणिका में पाठ्यक्रम पूर्ण करने की समयावधि तीन वर्ष निर्धारित है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के (NCTE) में बी.एड.-एम.एड. एकीकृत के सम्बन्ध में निम्न उल्लेख है:

> NCTE Regulation No- F-51-1/ 2014-NCTE (N-S) Appendix-15 3.1 के अनुसार — *"The Integrated B-Ed—M-Ed- programme shall be of a duration of three academic years including two summers- Students shall be permitted to complete the programme requirements of the three-year programme with in a maximum period of four years from the date of admission to the programme-"*

छात्र श्री अमित गौरव का नामांकन दिनांक 27.07.2016 को हुआ था, जिसके अनुसार उनके द्वारा कार्यक्रम पूर्ण करने की विस्तारित अवधि समाप्त हो चुकी है। उनके सन्दर्भ में विभागाध्यक्ष द्वारा छात्र हित में कार्यक्रम पूर्ण किये जाने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने तथा भविष्य में इस प्रकरण को दृष्टान्त न मानने की टिप्पणी (विद्या–परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में) के साथ पत्रावली क्रमांक: 066/2016-19/बी.एड–एम.एड एकीकृत/शि.वि./01 प्रस्तुत की गयी।

इस पत्रावली के नोटशीट क्रमांक 03 के पैरा 15 पर दिनांक 21.07.2023 को कुलपति महोदय द्वारा विद्या–परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में सहमति प्रदान की गयी। इसके अनुक्रम में सम्बन्धित विभाग द्वारा श्री अमित गौरव की मौखिकी दिनांक 07.11.2023 को आयोजित की गयी।

मौखिकी के पश्चात् बाह्य परीक्षक द्वारा प्रदत्त मूल्यांकन अंक एवम् शोध निर्देशक डॉ. शिल्पी कुमारी द्वारा प्रदत्त आंतरिक मूल्यांकन अंक के समग्र योग के आधार पर छात्र के लघु शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन पत्रक विद्या–परिषद् की 44वीं बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

विद्या–परिषद् ने छात्र हित एवम् राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमों को दृष्टिगत रखते हुए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से हुए पत्राचार का संज्ञान लेते हुए पुनः अनुस्मारक भेजकर अनुमति प्राप्त होने की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया।

प्रकरण विद्या–परिषद् के समक्ष निर्देशार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने छात्र हित एवम् राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमों के दृष्टिगत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से हुए पत्राचार का संज्ञान लेते हुए पुनः अनुस्मारक भेजकर अनुमति प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया।

मद संख्या–40: सुश्री नविता का प्रवेश निरस्तीकरण प्रकरण – यूजीसी से प्राप्त शिकायत के आलोक में विचारार्थ

सुश्री नविता, सुपुत्री श्री बी.आर. बागरी, नामांकन संख्या : 2022/06/139/037, सत्र 2022–23, द्वारा दिनांक 27 मई, 2024 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने आगामी छमाही में अध्ययन स्थगित (Acedemic Break) करने की इच्छा व्यक्त की थी।

उक्त छात्रा की कक्षा में निरन्तर अनियमित उपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण की अनुशंसा की गयी थी। माननीय कुलपति की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् पत्रावली प्रवेश प्रकोष्ठ को हस्तान्तरित की गयी, जिसके अनुसार पत्रांक : 066/2022-25/बी.एड.–एम.एड. एकीकृत/शि.वि./01/1828, दिनांक : 03.02.2024 के माध्यम से प्रवेश निरस्तीकरण का कार्यालयादेश निर्गत किया गया।

उक्त सन्दर्भ में सुश्री नविता द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), नयी दिल्ली में प्रवेश निरस्तीकरण के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज की गयी है। इस शिकायत के प्रत्युत्तर में अवर सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नयी दिल्ली द्वारा दिनांक 06.05.2025 को ईमेल के माध्यम से विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया है कि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई शीघ्र की जाए एवम् आवेदक को की गयी कार्रवाई से अवगत कराते हुए यूजीसी को भी सूचित किया जाए।

उक्त प्रकरण विद्या–परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वस्तुस्थिति से अवगत कराने का निर्णय लिया।

मद संख्या–41: श्री हिमांशु ओझा, बी.वोक. (अभिनय एवम् मंच विन्यास), सत्र 2018 के छात्र को अधिकतम अवधि समाप्त होने की स्थिति में विशेष शिथिलता प्रदान कर डिग्री जारी करने के सम्बन्ध में

श्री हिमांशु ओझा ने सत्र 2018 में बी.वोक (अभिनय एवम् मंच विन्यास) पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था। कोविड-19 महामारी के दौरान गम्भीर रूप से संक्रमित होने के कारण उनकी शारीरिक एवम् मानसिक स्थिति प्रभावित हुई, जिससे वे समय पर अध्ययन पूर्ण नहीं कर सके।

छात्र ने कोर्स की अधिकतम अवधि समाप्त होने के कारण उत्पन्न स्थिति में विशेष शिथिलता प्रदान कर डिग्री जारी करने का अनुरोध किया है, जिससे वे रोजगार एवम् उच्च शिक्षा हेतु पात्र हो सकें।

विद्यार्थी की परिस्थितियों को देखते हुए कोर्स अवधि में विशेष शिथिलता प्रदान करने एवम् डिग्री जारी करने के सम्बन्ध में विद्या–परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने कार्यसूची में हुई टंकण त्रुटि को सुधारते हुए छात्र हित के दृष्टिगत कार्यक्रम की अधिकतम अवधि समाप्त होने के कारण उत्पन्न स्थिति में विशेष शिथिलता प्रदान कर डिग्री जारी करने की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही, निर्देशित किया कि इसे भविष्य के लिए दृष्टान्त न माना जाए।

मद संख्या–42: भारतीय ज्ञान परम्परा विश्वकोश प्रकाशन हेतु संक्षिप्त प्रस्ताव

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा भारतीय ज्ञान परम्परा, संस्कृति, भाषा एवम् साहित्य के संवर्धन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने हेतु ‘भारतीय ज्ञान परम्परा विश्वकोश’ के प्रकाशन की योजना प्रस्तावित कर रहा है।

यह बहु-खण्डीय विश्वकोश भारतीय दर्शन, विज्ञान, गणित, आयुर्वेद, संगीत, कला, व्याकरण, भाषाशास्त्र, सामाजिक विज्ञान एवम् पारम्परिक ज्ञान प्रणाली से जुड़े विषयों को समाहित करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान परम्परा को संरक्षित कर वैश्विक शोध समुदाय व नयी पीढ़ी के लिए प्रामाणिक सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध कराना है।

विभिन्न प्राचीन भारतीय ग्रंथों को संकलित कर आधुनिक पाठकों के लिए सुलभ और प्रासंगिक बनाया जाएगा। यह विश्वकोश वैश्विक शोध संस्थानों में भारतीय ज्ञान परम्परा की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा तथा नयी शिक्षा नीति (NEP–2020) के उद्देश्यों को भी साकार करेगा।

विश्वकोश को विभिन्न भाषाओं में अनुवादित कर डिजिटल माध्यमों (ई–बुक, वेबसाइट, मोबाइल एप) से व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराया जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय : विषय को कार्य–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या–43: क्षेत्रीय केन्द्र–कोलकाता, प्रयागराज और रिद्धपुर की वर्तमान स्थिति और आगामी अकादमिक गतिविधियों पर चर्चा

विश्वविद्यालय के सक्षम निकायों द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार क्षेत्रीय केन्द्रों की वर्तमान स्थिति एवम् वहाँ संचालित अकादमिक गतिविधियों का समय समय पर मूल्यांकन किया जाना विश्वविद्यालय के सतत विकास हेतु आवश्यक है। तदनुसार कोलकाता, प्रयागराज एवम् रिद्धपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों की वर्तमान स्थिति तथा प्रस्तावित अकादमिक योजनाओं पर विचार-विमर्श हेतु विषय प्रस्तुत है।

निर्णय : क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता एवम् प्रयागराज की अद्यतन स्थिति–रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा उक्त रिपोर्ट को आगामी कार्य–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी मराठी भाषा एवम् तत्त्वज्ञान अध्ययन केन्द्र, रिद्धपुर, अमरावती (महाराष्ट्र) के विकास हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या–44: श्री अमृतलाल नागर सृजन पीठ में अतिथि अध्येता की नियुक्ति

भारत सरकार के संस्कृति मन्त्रालय द्वारा प्रख्यात गद्य शिल्पी श्री अमृतलाल नागर की स्मृति में विश्वविद्यालय में एक सृजन पीठ स्थापित की गयी है। इस हेतु 2 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है, जिसकी ब्याज राशि का उपयोग

पीठ के अन्तर्गत संचालित होने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जाएगा। इसी क्रम में विश्वविद्यालय में 'अतिथि अध्येता' नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय : इसे कार्य–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या–45: राइटर–इन–रेजिडेन्स की नियुक्ति

विश्वविद्यालय में राइटर–इन–रेजिडेन्स की नियुक्ति का प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : इसे कार्य–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या–46: विद्या–परिषद् के विद्यार्थी एवम् शोधार्थी प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव

विद्या–परिषद् के विद्यार्थी एवम् शोधार्थी प्रतिनिधियों से प्राप्त निम्नलिखित प्रस्ताव अवलोकन एवम् विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत हैं —

विधि विभाग के बी.ए. एलएल.बी. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम के सन्दर्भ में — विश्वविद्यालय के विधि विभाग में संचालित BALLB (ऑनर्स) पाठ्यक्रम का शुल्क अन्य केन्द्रीय, राज्य एवम् निजी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। शुल्क अधिक होने के कारण अधिकांश विद्यार्थी इसका भुगतान करने में असमर्थ हैं। वर्तमान में एक सेमेस्टर का शुल्क लगभग ₹17,880/- तथा पंचवर्षीय पाठ्यक्रम का कुल शुल्क ₹1,63,280/- है। अतः BALLB (ऑनर्स) पाठ्यक्रम का शुल्क यथासम्भव सामान्य स्तर पर निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, BALLB (ऑनर्स) पाठ्यक्रम की कक्षाएँ प्रतिदिन प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक संचालित की जाती हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों को स्व-अध्ययन तथा न्यायालय में प्रैक्टिस का अवसर नहीं मिल पाता है। अतः टाइम टेबल पर पुनर्विचार कर न्यायालय प्रैक्टिस को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने संज्ञान लिया कि शिक्षा मन्त्रालय एवम् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर शिक्षण शुल्क में वृद्धि से सम्बन्धित निर्देश प्राप्त होते रहे हैं। अतः निर्णय लिया कि इन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय स्तर पर पूर्व–निर्धारित शुल्क को कम करना सम्भव नहीं है।

विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग का क्रियान्वयन — वर्तमान में विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं है। योग शारीरिक शिक्षा का अभिन्न भाग है तथा विद्यालय शिक्षा प्रणाली में शारीरिक शिक्षा एवम् योग अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग हैं। विश्वविद्यालय में संचालित सभी योग कार्यक्रमों को विषयानुरूप शारीरिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित किया जाना चाहिए। विद्या परिषद् की 40वीं बैठक (अतिरिक्त कार्यसूची, मद सं. 04) एवम् कार्य-परिषद् की 72वीं बैठक (मद सं. 12) के अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा विभाग स्थापित करने का प्रस्ताव पूर्व में अनुमोदित किया जा चुका है।

उपर्युक्त बिन्दुओं के आलोक में शैक्षणिक सत्र 2024–25 से शारीरिक शिक्षा विभाग के विधिवत क्रियान्वयन तथा स्नातक, परास्नातक एवम् पीएच.डी. पाठ्यक्रमों के शीघ्र संचालन का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : शारीरिक शिक्षा विभाग के विधिवत क्रियान्वयन हेतु कार्य–परिषद् के माध्यम से कुलाध्यक्ष से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या– 47 : पीएच.डी. कार्यक्रम में विभाग स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रकरण

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रम स्त्री अध्ययन विभाग तथा डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर सिदो–कान्हू–मुर्मू दलित एवम् जनजातीय अध्ययन केन्द्र से राजनीति विज्ञान विभाग में स्थानान्तरण हेतु क्रमश: श्री नागसेन शामराव पुण्डगे एवम् श्री दत्तात्रय निवृत्ति रावण से दिनांक 02.01.2023 को प्राप्त आवेदनों पर राजनीति विज्ञान विभाग के अध्ययन मण्डल (BoS) की 07वीं बैठक दिनांक 06.02.2023 में प्रस्तुत किया गया था।

अध्ययन मण्डल (BoS) की स्वीकृति एवम् उस पर माननीय कुलपति के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रं. 100/रा.वि./01/BoS/1055 एवम् क्रं./100/रा.वि./01/BoS/1056, दिनांक 12.04.2023 के माध्यम से निर्गत कार्यालयादेश के अनुसार श्री नागसेन शामराव पुण्डगे एवम् श्री दत्तात्रय निवृत्ति रावण का क्रमश: स्त्री अध्ययन विभाग तथा डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर सिदो–कान्हू–मुर्मू दलित एवम् जनजातीय अध्ययन केन्द्र से राजनीति विज्ञान विभाग में स्थानान्तरण किया गया था।

उपर्युक्त अन्तर–विभागीय पीएच.डी. स्थानान्तरण के उपरान्त श्री राजेश कुमार यादव, शोधार्थी, स्त्री अध्ययन विभाग और श्री निरंजन कुमार, शोधार्थी, गांधी एवम् शान्ति अध्ययन विभाग से भी दिनांक 01.06.2023 को विभाग स्थानान्तरण के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। उपर्युक्त आवेदनों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया, जिस पर तत्कालीन प्रति–कुलपति, प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल से प्राप्त टिप्पणी —

1. "प्रवेशोपरान्त विषय परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है।" एवम्,
2. "प्रवेशोपरान्त यदि कोई शोधार्थी भिन्न विषय में शोध कार्य करना चाहता है, तो उसे इच्छित विषय की विहित प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से पुन: नये सिरे से प्रयास करना चाहिए।"

— पर तत्कालीन माननीय कुलपति, प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल से प्राप्त अनुमोदनानुसार श्री नागसेन शामराव पुण्डगे एवम् श्री दत्तात्रय निवृत्ति रावण के विभाग स्थानान्तरण को पत्र क्रं. 04A/प्र.प्र./सामान्य पत्रावली/2020–21/1216 एवम् क्रं. 04A/प्र.प्र./सामान्य पत्रावली/2020–21/1215, दिनांक : 01.09.2023 के माध्यम से जारी कार्यालयादेश के अनुसार इनके स्थानान्तरण से सम्बन्धित पूर्व में जारी कार्यालयादेश को अधिक्रमित करते हुए, उन्हें पुन: मूल विभाग/केन्द्रों में स्थानान्तरण किया गया था। तदुपरान्त, उक्त निर्णय के विरोध में हुए विरोध प्रदर्शन के दृष्टिगत पत्र क्रं. 04A/प्र.प्र./सामान्य पत्रावली/2020–21/1237, दिनांक : 21.09.2023 को जारी कार्यालयादेश के माध्यम से **विद्या–परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में उक्त दोनों शोधार्थियों के राजनीति विज्ञान विभाग में किये गये स्थानान्तरण को यथावत रखा गया।**

उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रस्तुत है कि –

सत्र 2021–22 में पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु जारी विज्ञापन में राजनीतिशास्त्र कार्यक्रम को सम्मिलित नहीं किया गया था।

उक्त जारी विज्ञापन में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि – ''प्रवेशार्थी ने जिस कार्यक्रम के लिए आवेदन किया है, उससे भिन्न कार्यक्रम में प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा।''

साथ ही, श्री राजेश कुमार यादव, शोधार्थी, स्त्री अध्ययन विभाग एवम् श्री निरंजन कुमार, शोधार्थी, गांधी एवम् शान्ति अध्ययन विभाग से विभाग स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदक के द्वारा वांछित कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु (क्रमश: जनसंचार एवम् प्रबन्धन) प्रवेश परीक्षा दी गयी थी, जिसमें वे अनुत्तीर्ण (Not Qualified) पाये गये, जिसके उपरान्त इनके द्वारा उत्तीर्ण कार्यक्रमों में – श्री राजेश कुमार यादव, शोधार्थी, पीएच.डी. स्त्री अध्ययन एवम् श्री निरंजन कुमार, शोधार्थी, पीएच.डी., गांधी एवम् शान्ति अध्ययन – में प्रवेश लिया गया था।

साथ ही, सुश्री अंकिता पटेल, पीएच.डी. प्रवासन एवम् डायस्पोरा अध्ययन से पीएच.डी. जनसंचार, जनसंचार विभाग में स्थानान्तरण हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में सूचनीय है कि आवेदक द्वारा वांछित कार्यक्रम में प्रवेश हेतु (जनसंचार) प्रवेश परीक्षा दी गयी थी, जिसमें वे अनुत्तीर्ण (Not Qualified) रहीं।

उक्त प्रकरण विद्या–परिषद् के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने संज्ञान लिया कि श्री नागसेन शामराव पुण्डगे एवम् श्री दत्तात्रय निवृत्ति रावण का क्रमश: स्त्री अध्ययन विभाग तथा डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर सिदो–कान्हू–मुर्मू दलित एवम् जनजातीय अध्ययन केन्द्र से राजनीति विज्ञान विभाग में स्थानान्तरण को तीन (03) वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसे भविष्य के लिए दृष्टान्त न मानते हुए तथा शोधार्थियों के अकादमिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण को यथावत रखने का निर्णय लिया।

मद संख्या– 48 : प्रो. अनिल कुमार राय को यथावत शोध निर्देशक बनाये रखने का प्रस्ताव

जनसंचार विभाग के अध्ययन मंडल की 27वीं बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या–4 के अनुसरण में प्रो. अनिल कुमार राय के निर्देशन में शोधरत पीएच.डी. शोधार्थियों के मार्गदर्शन हेतु विभागाध्यक्ष को अधिकृत किये जाने की पुष्टि की गयी थी। उक्त शोधार्थियों द्वारा दिनांक 25.07.2025 को विभागाध्यक्ष को पत्र देकर प्रो. अनिल कुमार राय को ही यथावत् शोध निर्देशक बनाये रखने का अनुरोध किया गया है। अत: प्रो. अनिल कुमार राय को यथावत् शोध निर्देशक बनाये रखने के सम्बन्ध में विचारार्थ / निर्णयार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने संज्ञान लिया कि इस विषय पर निर्णय अध्ययन मण्डल एवम् स्कूल बोर्ड में लिया जाना अपेक्षित है। तथापि प्रस्तुति की दृष्टि से प्रो. अनिल कुमार राय को यथावत शोध निर्देशक बनाये रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या–49 : दूर शिक्षा निदेशालय के प्रबन्धन बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त

दूर शिक्षा निदेशालय के प्रबन्धन बोर्ड की बैठक दिनांक 23.07.2025 को सम्पन्न हुई। प्रबन्धन बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुतियाँ विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : दूर शिक्षा निदेशालय के प्रबन्धन बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या–8 के सन्दर्भ में यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित विषय के शिक्षक विश्वविद्यालय के नियमित विभाग के सम्बद्ध सदस्य होंगे तथा अध्ययन मण्डल के चक्रानुक्रम में विशेष आमन्त्रित सदस्य होंगे। यह भी स्पष्ट किया गया कि शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता एवम् मूल नियुक्ति जिस विषय में होगी, उसी विषय में उन्हें शोध निर्देशक नियुक्त किया जाएगा। दूर शिक्षा निदेशालय में रिक्त पीएच.डी. सीटों का विवरण निदेशक, दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा सम्बन्धित विषय के विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाएगा।

मद संख्या–50 : अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

01. छात्रावास आवण्टन नियमावली एवम् छात्रावास / मेस नियमावली का अनुमोदन

निर्णय : विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की आवासीय व्यवस्था हेतु संचालित छात्रावासों के आवण्टन से सम्बन्धित पात्रता, शुल्क, आरक्षण, कक्ष आवण्टन, निवास की अवधि आदि विषयों पर कोई नियमावली उपलब्ध न होने के परिप्रेक्ष्य में, कार्यालयादेश क्रमांक 110/मु.छा.अ./2025-26/32/0425, दिनांक 04.04.2025 के माध्यम से एक समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति द्वारा तैयार की गयी नियमावली को विद्या–परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। (छात्रावास एवम् मेस नियमावली संलग्न)

02. आवासीय अवधि पूर्ण नहीं किये शोधार्थियों को पीएच.डी. पूर्ण करने की अनुमति

निर्णय : विद्या–परिषद् ने विश्वविद्यालय के पीएच.डी. शोधार्थियों की आवासीय अवधि से सम्बन्धित प्रकरणों तथा विविध कारणों से लम्बित प्रकरणों की समीक्षा एवम् आवश्यक अनुशंसा हेतु समिति गठित करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया।

03. कुलपति पद नाम के स्थान पर 'कुलगुरू' पद नाम का उपयोग करने की अनुमति

निर्णय : इसे कार्य–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

04. छात्रावास अधीक्षक का विद्यार्थियों से साप्ताहिक संवाद

निर्णय : विद्या-परिषद् ने विद्यार्थियों से छात्रावास अधीक्षक के साप्ताहिक संवाद की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उनके साथ यथाप्रस्तावित संवाद आयोजित किये जाने की अपेक्षा व्यक्त की।

05. चीनी में स्नातक (चार वर्षीय कार्यक्रम) के विद्यार्थियों को तीन वर्ष में स्नातक उपाधि प्रदान करने के सम्बन्ध में कार्योत्तर स्वीकृति

अकादमिक विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 04A/प्र.प्र./सामान्य पत्रावली/2024-25/2838-2842, दिनांक 28 जुलाई 2025 के अनुसरण में, भाषा विद्यापीठ के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संचालित चीनी में स्नातक (चार वर्षीय कार्यक्रम) सत्र 2022-26 के कुछ विद्यार्थियों का तीन वर्ष में स्नातक कार्यक्रम पूर्ण होने पर परीक्षा परिणाम दिनांक 31 जुलाई 2025 को घोषित किया गया।

सम्बन्धित विद्यार्थियों द्वारा आवेदन में चीनी सरकार से एक वर्ष का CSC स्कॉलरशिप प्राप्त होने का उल्लेख किया गया, जिसके मद्देनज़र सक्षम अधिकारी की अनुमोदन से उन्हें उनकी तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संलग्न प्रारूप के अनुसार मूल उपाधि प्रदान की गयी।

विद्या–परिषद् से कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय : विद्या–परिषद् ने कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

06. श्री चे जिलूंग, चीनी पीएच.डी. शोधार्थी को शोध प्रबन्ध जमा करने की अनुमति

श्री चे जिलूंग, नामांकन संख्या 2013/02/303/020, पीएच.डी. (हिन्दी – तुलनात्मक साहित्य) सत्र 2013-14 के नियमित शोधार्थी हैं। उनका शोध विषय "चीनी साहित्य पर प्रेमचंद का प्रभाव" है, जिसकी पूर्व-प्रस्तुति 03 फरवरी 2020 को सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है।

शोधार्थी ने आवश्यक संलग्नकों सहित अपना शोध प्रबंध मूल्यांकन हेतु विभाग में प्रस्तुत किया है तथा शोध प्रबंध के मूल्यांकन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। वर्ष 2020 से कोविड-19 महामारी के कारण भारत एवम् चीन के बीच नियमित हवाई यातायात बाधित रहा, साथ ही वीज़ा प्राप्त करने में भी कठिनाइयाँ आने तथा वर्ष 2018 में उनके पिताजी का निधन हुआ, जिससे वे मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहे। वर्तमान में वे चीन के कम्युनिकेशन विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में कार्यरत हैं, जहाँ शिक्षकों की कमी एवम् कार्यभार अधिक होने के कारण अवकाश प्राप्त करना सम्भव न हो पाया।

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों एवम् मानवता के आधार पर उन्हें पीएच.डी. शोध-प्रबन्ध जमा करने की अनुमति प्रदान किए जाने हेतु विद्या परिषद के समक्ष विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत।

निर्णय : श्री चे जिलूंग, चीनी पीएच.डी. शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा विशेष परिस्थितियों के आधार पर, उन्हें पीएच.डी. शोध–प्रबन्ध जमा करने की अनुमति प्रदान की गयी।

विद्या–परिषद् के तीन दिवसीय बैठक में मराठी विषय से सम्बन्धित चर्चा के सन्दर्भ में, सत्र 2026–27 से वर्धा मुख्यालय में साहित्य विद्यापीठ के अन्तर्गत एम.ए. मराठी कार्यक्रम तथा सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी मराठी भाषा तथा तत्त्वज्ञान अध्ययन केन्द्र, रिद्धपुर, अमरावती (महाराष्ट्र) में साहित्य विद्यापीठ के अन्तर्गत एम.ए. मराठी एवम् भाषा विद्यापीठ के अन्तर्गत चार–वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

धन्यवाद ज्ञापन एवम् राष्ट्रगान से बैठक समाप्त हुई।

17/08/25

(प्रो. आनन्द पाटील)
कुलसचिव (कार्यवाहक) एवम्
पदेन सचिव : विद्या–परिषद्
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
Accredited with 'A' Grade by NAAC

प्रो. आनन्द पाटील
कुलसचिव (कार्यवाहक)
Prof. Anand Patil
Registrar (Acting)

दूरभाष Phone : +91-

पत्रांक : अकादमिक विभाग विवरणिका 2025-26/2832
दिनांक : 23 जुलाई, 2025

अधिसूचना

सत्र नियमितीकरण की दृष्टि से शैक्षणिक सत्र : 2025-26 के अकादमिक कैलेंडर का अद्यतन विवरण निम्नानुसार है-

(क)	अकादमिक कैलेंडर : 2025-26	
01	समस्त विषम शिक्षण अधिसत्र	28 जुलाई 2025 से 05 दिसंबर 2025
02	आंतरिक मूल्यांकन परिणाम भेजने की अंतिम तिथि (समस्त विषम अधिसत्र)	05 दिसंबर 2025
03	क्षेत्रकार्य/परियोजना कार्य जमा करने की अंतिम तिथि	05 दिसंबर 2025
04	परीक्षा तैयारी अवधि	06-10 दिसंबर 2025
05	समस्त विषम अधिसत्र परीक्षाएँ	11 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025
06	शीत अधिसत्र अवकाश	22 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025
07	समस्त सम शिक्षण अधिसत्र	01 जनवरी 2026 से 05 मई 2026
08	आंतरिक मूल्यांकन परिणाम भेजने की अंतिम तिथि (समस्त सम अधिसत्र)	05 मई 2026
09	क्षेत्रकार्य/परियोजना कार्य जमा करने की अंतिम तिथि	05 मई 2026
10	ग्रीष्मावकाश	06 मई 2026 से 18 जून 2026
11	सत्रारंभ 2026-2027	19 जून 2026 से
12	समस्त सम अधिसत्र परीक्षाएँ	24 जून 2026 से 10 जुलाई 2026

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत की जा रही है।

23/07/25
(प्रो. आनन्द पाटील)

प्रति (ई मेल द्वारा) : उपर्युक्त सभी संबंधित
प्रतिलिपि (ई मेल द्वारा) :

1. मा.कुलपति महोदया की ओर सूचनार्थ
2. कुलसचिव कार्यालय
3. परीक्षा विभाग
4. समस्त अधिष्ठाता/ विभागाध्यक्ष/ केंद्र निदेशक/अकादमिक निदेशक/प्रभारी
5. प्रभारी : लीला, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
6. संबंधित फ़ाइल

पोस्ट – हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा–442001 (महाराष्ट्र), भारत
Post Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442001 (Maharashtra), INDIA
ई-मेल /E-mail: registrar@mgahv.in वेबसाइट /Website: www.hindivishwa.org

छात्रावास नियमावली (आवंटन एवं सामान्य प्रशासन)

छात्रावासों में आवंटन के लिए पात्रता

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र) के किसी विद्यार्थी को छात्रावास में आवंटन के लिए विचार किया जा सकता है; बशर्ते कि-

1. विद्यार्थी पूर्णकालिक कार्यक्रम (स्नातक, परास्नातक तथा पीएचडी कार्यक्रम) में केवल वर्धा (मुख्यालय) में नव-प्रवेशित हो।
2. छात्रावास आवंटन के लिए निर्धारित आवेदन-प्रपत्र पूर्ण एवं ससमय जमा किया हो।
3. विद्यार्थी केवल अंशकालिक कार्यक्रम में नामांकित न हो।
4. विद्यार्थी को पूर्व में कभी छात्रावास की सुविधा से वंचित या छात्रावास से निष्कासित न किया गया हो।
5. विद्यार्थी को पूर्व में कभी भी विश्वविद्यालय से निष्कासित न किया गया हो।
6. विद्यार्थी के माता-पिता/अभिभावक विश्वविद्यालय परिसर से 20 किमी के परिधि में नहीं रहते हों।
7. विद्यार्थी पूर्व में कभी भी समान स्तर के कार्यक्रम में छात्रावास सुविधा का लाभ न उठाया हो।
8. विद्यार्थी निर्धारित छात्रावास शुल्क का भुगतान किया हो।
9. विद्यार्थी द्वारा एंटी रैगिंग का निर्धारित प्रपत्र जमा किया गया हो।

छात्रावास शुल्क

1. छात्रावास आवंटित किए गए विद्यार्थियों को समय-समय पर अकादमिक परिषद् और कार्यकारी परिषद् द्वारा अनुमोदित छात्रावास शुल्क का भुगतान करना होगा।
2. प्रत्येक अधिसत्र के आरम्भ में छात्रावास शुल्क भुगतान की छाया प्रति संबंधित छात्रावास कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

आरक्षण

भारत सरकार/यूजीसी के नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के (दिव्यांग सहित) विद्यार्थियों को छात्रावास आवंटन में आरक्षण दिया जायेगा।

विदेशी विद्यार्थी

विश्वविद्यालय के विभिन्न पूर्णकालिक एवं अंशकालिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले अनिवासी विदेशी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार फादर कामिल बुल्के अंतरराष्ट्रीय छात्रावास में ही आवंटन किया जायेगा।

छात्रावास आवंटन के नियम

1. छात्रावासों में उपलब्ध स्थानों/सीटों के आधार पर आवंटन किया जायेगा।
2. प्रवेश परीक्षाओं के (CUET/PhD प्रवेश परीक्षा तथा अन्य प्रवेश परीक्षाओं) प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रावास आवंटन किया जायेगा।
3. केवल वर्धा (मुख्यालय) में नामांकित इच्छुक विद्यार्थियों को छात्रावास आवंटन किया जायेगा।
4. छात्रावास प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन-प्रपत्र पर अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणों तथा साक्ष्यों के साथ आवेदन करना होगा। अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. छात्रावासों में उपलब्ध स्थानों/सीटों के आधार पर दूसरे अधिसत्र तथा अगले अधिसत्रों के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास आवंटन पिछले अधिसत्र/अधिसत्रों की विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उनके प्रदर्शन (प्राप्त अंको) के आधार पर किया जायेगा।
6. छात्रावास में आवंटन हेतु इच्छुक विद्यार्थियों के पूर्व आचरण को भी ध्यान में रखा जायेगा।
7. विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा घोषित अधिसत्र/अधिसत्रों के परीक्षा परिणामों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा से वंचित किया जायेगा। मेडिकल प्रकरणों पर प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों पर विचार किया जा सकेगा ।
8. सभी छात्रावासों के एक कक्ष में दो विद्यार्थियों को आवंटित किया जायेगा।
9. पीएचडी विद्यार्थियों को उपलब्ध स्थानों/सीटों के आधार पर ही एकल कक्ष आवंटित किया जायेगा।

(12)

10. सुखदेव छात्रावास के कक्षों के आकार के आधार पर अल्प समय के लिये एक कक्ष में तीन विद्यार्थियों को आवंटित किया जा सकता है।
11. आवंटन के 10 दिनों के भीतर, विद्यार्थियों को अपने आवंटित कक्षों में स्थान ग्रहण करना होगा; अन्यथा आवंटन रद्द किया जा सकता है।
12. किसी भी विद्यार्थी द्वारा विशेष छात्रावास या विशेष कक्ष की माँग को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
13. विद्यार्थी द्वारा एकबार छात्रावास सुविधा अस्वीकार करने के पश्चात् उस अध्ययन कार्यक्रम में छात्रावास सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।
14. विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अनुसार आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

छात्रावास में निवास की अवधि

1. परास्नातक तथा स्नातक कार्यक्रम के विद्यार्थियों का छात्रावासों में निवास; अध्ययन कार्यक्रम के सम्पूर्ण अवधि से अधिक नहीं होगी।
2. पीएचडी विद्यार्थियों का छात्रावास में रहने की अधिकतम अवधि पीएचडी कार्यक्रम में पंजीकरण की तिथि (शुल्क जमा करने की तिथि) से **पाँच वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

छात्रावास रिक्त करने हेतु निर्देश

1. सामान्यतः विश्वविद्यालय के छात्रावास ग्रीष्मावकाश में बंद रहेंगे।
2. संबंधित विभागों/विद्यापीठों/ संस्थानों के अध्यक्ष/अधिष्ठाता/निदेशक की अनुशंसा पर अन्तेवासियों को ग्रीष्मावकाश के दौरान छात्रावास में रहने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।
3. अंतिम अधिसत्र के अन्तेवासियों को अपनी लिखित परीक्षा समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर अनिवार्यः छात्रावास खाली करने होंगे।
4. छात्रावास रिक्त करने से पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी को अपने कक्ष के सभी फर्नीचर तथा अन्य सामग्रियों की जाँच केयर टेकर से कराना होगा और छात्रावास एवं मेस सहित समस्त बकाया जमा करने होंगे।
5. छात्रावास रिक्त करने के बाद अन्तेवासी द्वारा उसके किसी सामान का दावा स्वीकार नहीं होगा तथा विश्वविद्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. यदि विद्यार्थी नियत तिथि तक छात्रावास का कक्ष खाली करने में विफल रहता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई या जुर्माना अथवा दोनों की प्रक्रिया की जायेगी।
7. अन्तेवासी द्वारा किसी भी प्रकार के अनुशासन के उल्लंघन, छात्रावास या मेस के नियमों के उल्लंघन या विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अध्यादेशों में निर्धारित या विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित कार्यालयादेशों के अनुरूप पालन न होने के कारण विद्यार्थी को छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।
8. यदि किसी अन्तेवासी को आवंटित कोई फर्नीचर इत्यादि क्षतिग्रस्त पाया जाता है, तो उस सामान की कीमत या सामान को हुए नुकसान की भरपाई, जैसा भी प्रशासन द्वारा निर्धारित किया किया जायेगा, उस सामान की मूल कीमत को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी से वसूल की जायेगी।

छात्रावास सामान्य नियमावली

1. विश्वविद्यालय पूरी तरह से नो रैगिंग परिक्षेत्र है। किसी भी प्रकार का रैगिंग पूर्णरूपेण प्रतिबंधित है। छात्रावास में प्रवेश के समय प्रत्येक विद्यार्थी और उसके अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित रैगिंग निरोधक तथा सद्व्यवहार संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। रैगिंग में संलिप्त पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी/विद्यार्थियों के विरुद्ध छात्रावास अधीक्षक और मुख्य छात्रावास अधीक्षक की संस्तुति पर विश्वविद्यालय द्वारा रैगिंग के विरुद्ध गठित समिति द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
2. प्रत्येक अंतेवासी को अपने साथी अन्तेवासियों, कर्मचारियों और छात्रावास के अधिकारियों के साथ बातचीत/आचरण में शिष्टाचार बनाए रखना होगा। यदि कोई अन्तेवासी उपर्युक्त का पालन नहीं करता है, तो इसे अनुशासनहीनता माना जायेगा और अन्तेवासियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
3. छात्रावास प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी फर्नीचर को एक कक्ष से दूसरे कक्ष में स्थानांतरण अनुशासनहीनता माना जायेगा। निर्धारित मानदंडों के अनुसार अंतेवासी के कक्ष में फर्नीचर का प्रावधान होगा। अतिरिक्त फर्नीचर की कोई माँग स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. कक्ष से बाहर जाते समय अंतेवासियों को अपने कक्ष की लाइटें, पंखे और अन्य बिजली के उपकरण बंद करने होंगे।

2

5. छात्रावास के भोजन कक्ष, कॉमन रूम या किसी अन्य कक्ष से छात्रावास के अंतेवासियों द्वारा कोई भी उपकरण नहीं निकाली जा सकती।
6. कक्ष में खाना बनाना सख्त वर्जित है। यह दंडनीय होगा।
7. विश्वविद्यालय अंतेवासियों के निजी सामान तथा वाहन के किसी भी प्रकार के क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। उन्हें अपने कक्षों में अपने स्वयं के ताले का उपयोग करना होगा और अपने निजी सामान की देखभाल करनी होगी।
8. अंतेवासियों द्वारा किसी भी तरह की धमकी, हिंसा, धार्मिक, जातिवादी उन्माद या उपद्रवी व्यवहार में लिप्तता को गंभीरता से लिया जायेगा और उसे अनुशासनहीनता माना जायेगा।
9. छात्रावास में रहने वाले अन्तेवासी कुलसचिव की पूर्व अनुमति के बिना छात्रावास परिसर में कोई भी धार्मिक या राजनीतिक समारोह (विद्यार्थी गतिविधियों से संबंधित समारोहों के अतिरिक्त) आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
10. एक बार कक्ष आवंटित होने के पश्चात् विशेष परिस्थिति को छोड़कर, किसी भी स्थिति में आवंटित कक्ष में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। छात्रावास अधीक्षक के पूर्व लिखित अनुमति के बिना आवंटित कमरों में परिवर्तन करना अनुशासनहीनता माना जायेगा।
11. जल संकट की स्थिति, महामारी या अन्य आपातकालीन/आपदा/नवीनीकरण/पुनर्निर्माण की स्थिति उत्पन्न होने पर कभी भी छात्रावास को खाली कराया जा सकता है।
12. अंतेवासियों द्वारा की गयी किसी प्रकार की उदंडता, मद्यपान, मादक द्रव्य रखना या सेवन करना , कोई अन्य अपकृत्य करने अथवा किसी अन्य विद्यार्थी को उत्प्रेरित करने की दशा में संबंधित विद्यार्थी/विद्यार्थियों को निष्कासित किया जा सकता है। छात्रावास परिसर एक **"धूम्रपान निषेध क्षेत्र"** है। छात्रावास परिसर में धूम्रपान सख्त मना है। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसे प्रत्येक उल्लंघन के लिए 200/- रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।
13. किसी भी अंतेवासी द्वारा छात्रावास में की गई तोड़-फोड़ अथवा संपत्ति को हानि पहुँचाने अथवा उपलब्ध करायी गई सुविधाओं का दुरुपयोग करने पर आर्थिक दंड के साथ-साथ उसके विरुद्ध अन्य आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
14. छात्रावास अधीक्षक को अंतेवासियों के कमरों के औचक निरीक्षण का अधिकार होगा।
15. छात्रावास खाली करते समय अंतेवासी आवंटित कक्ष की सामग्री और विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गई अलमीरा की चाभी तथा अन्य सभी वस्तुएं छात्रावास कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
16. अंतेवासियों की अपनी वस्तुओं, विशेष रूप से बहुमूल्य वस्तुओं (दस्तावेज, गहने, मोबाईल, लैपटॉप, कंप्यूटर, नगद राशि इत्यादि) की जिम्मेदारी स्वयं की होगी और छात्रावास छोड़ते समय वे अपनी सभी वस्तुएं अपने साथ ले जायेंगे।
17. छात्रावास से अवकाश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र के माध्यम से दो कार्य दिवस पूर्व आवेदन देना अनिवार्य होगा। आवेदन प्रपत्र, विशेष रूप से अवकाश की अवधि और वापसी की तिथि, अवकाश का कारण, अवकाश के दौरान संपर्क का पता और संपर्क नंबर का समुचित रूप से विवरण देना अनिवार्य होगा।
18. बिना पूर्व अनुमति के छात्रावास से बाहर जाने की दशा में किसी प्रकार की दुर्घटना के लिए अन्तेवासी स्वयं उत्तरदायी होगा।
19. बैंक ऋण अथवा किसी अन्य देनदारी के लिए भी विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इस प्रकार के किसी प्रयोजन के लिए वह विश्वविद्यालय /छात्रावास के पते का उपयोग भी नहीं करेगा।
20. छात्रावास का मुख्य द्वार रात्रि 10:00 बजे तक बंद हो जायेगा। विशेष परिस्थिति में ही निर्धारित समय के पश्चात् छात्रावास में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
21. अंतेवासी रात्रि 10:00 बजे के पूर्व तक ही छात्रावास में अधीक्षकों के पूर्व अनुमति से किसी कार्यक्रम का आयोजन कर सकेंगे।
22. रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक छात्रावास साइलेंसजोन के रूप में रहेगा।
23. प्रत्येक अंतेवासी अपने कक्ष और आस-पास के स्थान की साफ-सफाई स्वयं करेंगे।
24. अंतेवासियों के लिए छात्रावास में आयोजित अकादमिक/सांस्कृतिक/सामुदायिक गतिविधियों में सहभागिता अपेक्षित होगा।
25. सार्वजनिक रूप से उपयोग में लायी जाने वाली सुविधाओं/वस्तुओं एवं जल का संयमित उपयोग करना अनिवार्य होगा।
26. एलेक्ट्रिकल गैजेट (जैसे- इलेक्ट्रिक हीटर/कन्वेक्टर, इलेक्ट्रिक स्टोव, एयर कंडीशनर, इंडक्शन, वाशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर इत्यादि) का उपयोग वर्जित होगा। दूध, पानी आदि गर्म करने के लिए अंतेवासी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करायी गयी सुविधा का उपयोग कर सकेंगे।
27. यदि कोई अंतेवासी निरंतर 15 दिनों तक बिना पूर्व अनुमति के छात्रावास में अनुपस्थित रहता है तो उसका आवंटन रद्द किया जा सकेगा।

28. पूर्व-विद्यार्थियों तथा अंतेवासियों के परिजनों के लिए पूर्व अनुमति से छात्रावास में अतिथि के रूप में रहने की सुविधा होगी। पुरुष केवल पुरुष छात्रावासों में तथा महिलाएं केवल महिला छात्रावासों में अतिथि के रूप में रह सकती हैं। ठहरने की अनुमति सामान्यत: अधिकतम 07 दिनों तक केवल अतिथियों को दी जायेगी, जिसका विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क अग्रिम में छात्रावास कार्यालय में जमा करना होगा। (लेकिन इस विश्वविद्यालय के किसी विद्यार्थी, इस विश्वविद्यालय के निष्कासित विद्यार्थी या इस विश्वविद्यालय के किसी ऐसे विद्यार्थी को अतिथि होने की सुविधा नहीं दी जायेगी, जिसके खिलाफ कदाचार के आरोप हैं या पुलिस से संबंधित मामले हैं)

29. छात्रावास प्रशासन किसी भी आगंतुक को छात्रावास में प्रवेश देने से मना करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि उसकी राय में आगंतुक से छात्रावास में शांति और व्यवस्था को भंग करने की संभावना है ।

30. यदि कोई अंतेवासी अनधिकृत रूप से किसी व्यक्ति को अपने साथ छात्रावास में रखता है तो उसे छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।

31. प्रत्येक अंतेवासी के लिए छात्रावास अधीक्षक द्वारा आयोजित बैठक में सहभागिता अनिवार्य होगी और इसके लिए उन्हें पूर्व में सूचित किया जायेगा।

32. छात्रावास में रहने के दौरान यदि अंतेवासी को नौकरी/नियुक्ति मिलती है, तो उन्हें छात्रावास कार्यालय को सूचित करना होगा। उन्हें सभी बकाया राशि का भुगतान करने के बाद सात दिनों के भीतर छात्रावास छोड़ना होगा। जो अन्तेवासी अपनी नौकरी/नियुक्ति के बारे में कार्यालय को सूचित नहीं करते हैं और छात्रावास में रहना जारी रखते हैं, उनसे नियुक्ति की तारीख से 3,000/- रुपये प्रति माह का अतिरिक्त दंडात्मक किराया लिया जायेगा। किसी भी स्थिति में, अंतेवासी को उनकी नियुक्ति की तारीख से एक महीने की अवधि से अधिक रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

33. अंतेवासियों को व्यक्तिगत सेवा के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की अनुमति नहीं है। छात्रावास के किसी भी कर्मी को किसी भी अंतेवासी द्वारा व्यक्तिगत काम करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। व्यक्तिगत काम के लिए कहना अनुशासनहीनता माना जाएगा।

34. अंतेवासियों को स्थानीय अभिभावकों और माता-पिता के पते, ईमेल, मोबाइल फोन नंबर और टेलीफोन नंबर में किसी भी बदलाव के बारे में छात्रावास कार्यालय को तत्काल लिखित रूप में सूचित करना होगा ।

35. देर रात तक बाहर रहने की अनुमति के लिए अधीक्षक को लिखित रूप से अनुरोध करना होगा तथा अनुमति प्राप्त करनी होगी। अनुमति के उपरांत ही वह बाहर जा सकेगा ।

36. महिला अंतेवासियों को पुरुष छात्रावास में जाने की अनुमति नहीं है और पुरुष अंतेवासियों को (किसी भी समय) भी महिला छात्रावास में जाने की अनुमति नहीं है। इस नियम का उल्लंघन करने पर छात्रावास से निष्कासन सहित सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

37. संगीत वाद्ययंत्रों द्वारा तेज आवाज का प्रसारण तथा छात्रावास के अंदर और बाहर असंवैधानिक गतिविधि में शामिल होना पूर्णतः प्रतिबंधित है। साथ ही, छात्रावास प्रशासन द्वारा उक्त संगीत वाद्ययंत्र जब्त कर लिया जायेगा तथा अंतेवासी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

38. अंतेवासियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वाहन पार्किंग स्थल पर ही पार्क करें।

39. एम्बुलेंस की सेवा आपातकालीन स्थिति के लिए है, अंतेवासियों से अपेक्षा की जाती है कि एम्बुलेंस का दुरुपयोग न करें। एम्बुलेंस का दुरुपयोग अनुशासनहीनता माना जायेगा।

40. किसी भी परिस्थिति में अंतेवासियों को आवंटित कक्ष में या रसोई (मेस) में खाना पकाने की अनुमति नहीं है।

41. छात्रावास परिसर (सार्वजनिक स्थानों) में अंतेवासियों के सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड किए जायेंगे और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उपयोग भी किए जायेंगे।

42. छात्रावास के संसाधनों का उपयोग अंतेवासी समुदाय की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार उचित रूप से किया जाना चाहिए। छात्रावास के संसाधनों का कोई भी दुरुपयोग/गलत संचालन दंड का कारक होगा।

43. अंतेवासियों को छात्रावास परिसर में कोई भी पालतू पशु/पक्षी रखने की अनुमति नहीं होगी ।

44. छात्रावास प्रशासन की लिखित अनुमति/हस्ताक्षर के बिना छात्रावास के किसी भी नोटिस बोर्ड पर कोई नोटिस नहीं लगाया जा सकता है। छात्रावास परिसर में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अनधिकृत पोस्टर या नोटिस चिपकाना सख्त वर्जित है और इस प्रावधान का उल्लंघन करना गंभीर अनुशासनहीनता माना जायेगा। कक्ष के बाहर दरवाजों पर किसी भी प्रकार का चित्र, पोस्टर चिपकाना एवं स्लोगन लिखना वर्जित होगा ।

4

45. किसी भी अन्तेवासी के द्वारा सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से विश्वविद्यालय की गलत छवि प्रस्तुत करना गंभीर अनुशासनहीनता माना जायेगा।

46. छात्रावास से निष्कासित विद्यार्थियों को छात्रावास परिसर में प्रवेश निषिद्ध होगा।

47. छात्रावास परिसर में गैर आवंटित व्यक्तियों का प्रवेश निषिद्ध है, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पूर्व अनुमति के आधार पर ही बाहरी व्यक्तियों को छात्रावास परिसर में जाने की अनुमति होगी।

48. छात्रावास संबंधी किसी भी प्रकार की परिवेदना होने पर कोई भी अंतेवासी अपना आवेदन छात्रावास अधीक्षक को प्रस्तुत करेगा। परिवेदना का निराकरण न होने की स्थिति में वह अपना आवेदन मुख्य छात्रावास अधीक्षक को प्रस्तुत करेगा। मुख्य छात्रावास अधीक्षक की अनुशंसा के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अंतेवासी किसी भी परिस्थिति में अपना आवेदन जिला प्रशासन/ पुलिस प्रशासन/ उच्चतर आयोग को सीधे नहीं भेज सकेगा ऐसा करना दंडनीय अपराध माना जाएगा।

49. छात्रावासों में अनुशासन तथा व्यवस्था छात्रावास अधीक्षकों और मुख्य छात्रावास अधीक्षक के सहयोग से कुलानुशासक के नियंत्रण में होगी।

50. विश्वविद्यालय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर स्थापित है। अतः सभी छात्रावासों में उनके द्वारा स्थापित मूल्यों और आचार पद्धति, जिनमें अहिंसा, शांति तथा शाकाहार विशेष हैं, का अनुपालन किया जाएगा।

51. छात्रावास नियमावली में जो उल्लिखित है अथवा नहीं है, उन सभी मामलों में माननीय कुलपति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

26/5 26/5/25 26.05.25

5

(6)

मेस नियमावली (कोऑपरेटिव मेस)

कोऑपरेटिव मेस की कार्य-प्रणाली

1. प्रत्येक छात्रावास में (जिस छात्रावास में मेस से संबंधित आधारभूत सुविधायें हों) मेस का संचालन होगा।
2. सभी अन्तेवासियों को मेस में भोजन करना अनिवार्य होगा।
3. मेस का भोजन मेनू चयनित विद्यार्थी प्रतिनिधियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
4. भोजन संबंधी गुणवत्ता की जाँच एवं सुझाव चयनित विद्यार्थी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा।
5. मेस एक सहकारी उपक्रम होगा और इसे "नो प्रॉफिट नो लॉस" के आधार पर चलाया जाएगा।
6. भोजन बनाने एवं वितरण के लिए पात्र एवं अन्य उपकरण विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा रखरखाव की समुचित व्यवस्था भी विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।
7. भोजन बनाने, वितरण करने तथा सफाई के लिए कर्मी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
8. मेस संचालन के लिये विश्वविद्यालय स्तर पर एक **केंद्रीय मेस प्रबंधन समिति** होगी।
9. प्रत्येक छात्रावास के लिए **छात्रावास मेस संचालन समिति** होगी।
10. प्रत्येक छात्रावास में भोजन व्यवस्था का दायित्व केंद्रीय मेस प्रबंधन समिति, छात्रावास मेस संचालन समिति तथा विश्वविद्यालय प्रशासन की संयुक्त जिम्मेदारी होगी।
11. मेस में खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में व्यावसायिक एलपीजी का उपयोग करना होगा। व्यावसायिक एलपीजी गैस कनेक्शनों का रखरखाव, संचालन और सुरक्षा विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।
12. केंद्रीय मेस प्रबंधन समिति के लिए एक 'मेस प्रबंधक' विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
13. प्रत्येक संचालित मेस में 'मेस प्रबंधक' विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
14. प्रत्येक छात्रावास से 06 विद्यार्थी प्रतिनिधि चयनित किये जायेंगे जो प्रत्येक माह 03 की संख्या में परिवर्तित होंगे।
15. खाद्य सामग्री, सब्जी एवं अन्य वस्तुओं की खरीद चयनित विद्यार्थी प्रतिनिधियों द्वारा सुझाए गए दुकानों से ही की जायेगी।
16. प्रत्येक छात्रावास के लिए पृथक् बैंक खाता होगा जिसमें संबंधित छात्रावास के अन्तेवासी मेस शुल्क जमा करेंगे।
17. आय-व्यय का मासिक विवरण चयनित विद्यार्थी प्रतिनिधियों तथा मेस मैनेजर की सहायता से तैयार कर प्रस्तुत किया जाएगा।
18. मासिक व्यय (लाभ-हानि सहित) सभी मेस सदस्यों में (छात्रावास मेस के अनुसार) समान रूप में वितरित किया जायेगा।
19. चयनित विद्यार्थी प्रतिनिधियों को एक माह का आधा मेस शुल्क ही देय होगा।
20. सभी छात्रावासों में मेस संचालन की स्थिति में सभी मेस सदस्यों को थाली, गिलास, चम्मच आदि की व्यवस्था व्यक्तिगत करनी होगी तथा **स्वयं सेवा** के अंतर्गत अपने प्रयोग में लायी हुई थाली, गिलास, चम्मच की सफाई खुद करनी होगी।

केंद्रीय मेस प्रबंधन समिति की संरचना निम्नवत होगी -

अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण	अध्यक्ष
कुलानुशासक	सह-अध्यक्ष
मुख्य छात्रावास अधीक्षक	सदस्य
समस्त छात्रावास अधीक्षक	सदस्य
सहायक कुलसचिव/ प्रभारी, परिसर विकास	सदस्य
सहायक कुलसचिव/ प्रभारी, क्रय एवं भंडार	सदस्य
सहायक कुलसचिव/ प्रभारी, वित्त विभाग	सदस्य
सहायक कुलसचिव/ प्रभारी, अकादमिक विभाग	सदस्य
सहायक कुलसचिव/ प्रभारी, परीक्षा विभाग	सदस्य
सुरक्षा अधिकारी	सदस्य
समस्त छात्रावासों के केयर टेकर	सदस्य
प्रत्येक छात्रावास से एक चयनित विद्यार्थी प्रतिनिधि	सदस्य
केंद्रीय मेस प्रबंधन समिति के मेस प्रबंधक	सदस्य सचिव

20.05.25

केंद्रीय मेस प्रबंधन समिति के कार्य

1. समिति सभी मेसों के कामकाज की निगरानी करेगी।
2. समिति मेस के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी।
3. समिति चयनित विद्यार्थी प्रतिनिधियों की सहायता से मेस मेनू को तैयार तथा परिवर्तन करायेगी।
4. समिति मेस में वितरण किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की निगरानी करेगी तथा उसमें सुधार के लिए सुझाव देगी।
5. समिति असामान्य व्यय से बचते हुए अधिकतम मितव्ययिता प्राप्त करने के तरीके और साधन विकसित करेगी।
6. समिति समय-समय पर प्रति आहार/ भोजन की लागत निर्धारित करेगी।
7. समिति मेस फीडबैक रजिस्टर की निगरानी करेगी और अन्य सभी मामलों पर ध्यान देगी।
8. समिति मेस संबंधित सभी समस्याओं का निवारण करेगी।
9. समिति प्रत्येक माह में एक बैठक अवश्य करेगी।
10. समिति मेस सदस्यों के व्यवहार का मूल्यांकन एवं मार्गदर्शन करेगी।
11. समिति के समक्ष जो भी मामले लाए जायेंगे, समिति उसके निस्तारण हेतु सम्यक् कार्यवाही करेगी।

छात्रावास मेस संचालन समिति की संरचना निम्नवत होगी-

अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण	मार्गदर्शक
कुलानुशासक	सह - मार्गदर्शक
मुख्य छात्रावास अधीक्षक	सह - मार्गदर्शक
संबंधित छात्रावास अधीक्षक/ अधीक्षक द्वय	अध्यक्ष
संबंधित छात्रावास/छात्रावासों के केयर टेकर	सदस्य
सुरक्षा अधिकारी	सदस्य
संबंधित छात्रावास/छात्रावासों के चयनित विद्यार्थी प्रतिनिधि	सदस्य
संबंधित छात्रावास मेस संचालन समिति के मेस प्रबंधक	सदस्य सचिव

छात्रावास मेस संचालन समिति के कार्य

1. छात्रावास मेस संचालन समिति मेस शुल्क निश्चित अवधि में जमा कराने के लिए सूचना जारी करेगी।
2. छात्रावास मेस संचालन समिति भोजन-सामग्री खरीद के लिए दुकानों का निर्धारण एवं परिवर्तन के लिए सुझाव देगी।
3. छात्रावास मेस संचालन समिति मेस के कामकाज की निगरानी करेगी।
4. छात्रावास मेस संचालन समिति मेस नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी।
5. छात्रावास मेस संचालन समिति प्रत्येक माह के लिए मेस द्वारा लागू किए जाने वाले भोजन मेनू को पहले से तैयार करायेगी तथा सभी मेस सदस्यों से चर्चा करेगी।
6. छात्रावास मेस संचालन समिति मेस में उपभोग के लिए आपूर्ति की खरीद का पर्यवेक्षण करेगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आपूर्ति अनुमोदित गुणवत्ता और मात्रा के अनुसार हो।
7. छात्रावास मेस संचालन समिति मेस में वितरण किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता संबंधी जाँच एवं सुधार का सुझाव प्रदान करेगी।
8. छात्रावास मेस संचालन समिति अधिकतम मितव्ययिता का सुझाव प्रस्तुत करेगी।
9. छात्रावास मेस संचालन समिति प्रत्येक माह में दो बैठक अवश्य करेगी।
10. छात्रावास मेस संचालन समिति आय-व्यय का मासिक विवरण प्रस्तुत करेगी जिसे सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

मेस मेनू

1. मेस का भोजन मेनू चयनित विद्यार्थी प्रतिनिधियों द्वारा तय किया जाएगा।
2. तय किये गए मेनू को भोजन कक्ष में प्रदर्शित किया जाना चाहिए और उसकी एक प्रति मेस प्रबंधक को दी जानी चाहिए जो इसका पालन सुनिश्चित करायेंगे।
3. बीमार विद्यार्थी को चयनित विद्यार्थी प्रतिनिधियों की सहमति और आवश्यक खाद्य सामग्री की उपलब्धता के आधार विशेष आहार दिया जा सकता है ।

(6)

नाश्ता /भोजन का समय

नाश्ता	सुबह 8:00 बजे से 10 बजे तक उपलब्ध रहेगा। (स्नातक के विद्यार्थी 8:00-9:00 बजे तक, परास्नातक/ शोधार्थी 9:00-10:00 बजे तक)
दोपहर-भोजन	दोपहर 01:00 बजे से 03:0 0 बजे तक उपलब्ध रहेगा। (परास्नातक/ शोधार्थी 01:00-02:00 बजे तक स्नातक के विद्यार्थी 2:00-3:00 बजे तक)
रात्रि-भोजन	रात्रि 08:00 बजे से 10:00 बजे तक उपलब्ध रहेगा।

भोजन कक्ष के नियम

1. सभी अन्तेवासियों/मेस सदस्यों और उनके अतिथियों को भोजन कक्ष में ही भोजन ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
2. बीमार छात्रों को चयनित विद्यार्थी प्रतिनिधियों की सहमति से आवंटित कक्ष में बीमार विद्यार्थियों के लिए भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है।
3. किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को भोजन कक्ष के बाहर भोजन ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4. सभी मेस सदस्यों के लिए आहार रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा और ऐसा न करने वालों के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
5. मेस सदस्य केवल एक ही प्लेट या थाली से भोजन करेंगे। किसी अन्य को एक ही प्लेट/थाली में भोजन करने की अनुमति नहीं होगी।
6. मेस प्रबंधक और मेस कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह का विवाद करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई शिकायत है तो उसे सुझाव पुस्तिका में दर्ज किया जा सकता है या शिकायती पत्र लिखा जा सकता है, जिसे केन्द्रीय मेस प्रबंधन समिति के ध्यान में लाया जाएगा।
7. भोजन कक्ष में मद्यपान या धूम्रपान या किसी प्रकार के नशे का सेवन करना वर्जित है और ऐसा करना दंडनीय कृत्य माना जायेगा।
8. भोजन कक्ष के बाहर मेस के बर्तन ले जाने की अनुमति नहीं है।
9. मेस सदस्यों को भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए तथा भोजन कक्ष में साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए।
10. मेस सदस्यों को मेस कर्मचारियों से उनके लिए विशेष व्यंजन तैयार करने के लिए दबाव बनाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
11. प्रबंधन/संचालन समिति के सदस्यों तथा कर्त्तव्यस्थ कर्मियों को छोड़कर अन्य लोगों का रसोई में प्रवेश वर्जित होगा।
12. मेस सदस्यों तथा अतिथियों को मेस के समय का पालन करना होगा।
13. उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन करने पर विद्यार्थियों पर जुर्माना लगाया जाएगा तथा/या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें छात्रावास से निष्कासन, विश्वविद्यालय से निष्कासन आदि शामिल है।

मेस शुल्क का भुगतान

1. एक माह के मेस शुल्क का भुगतान सभी मेस सदस्यों को अग्रिम जमा करना होगा।
2. सभी मेस सदस्य को एकबार में ही एकमुश्त मेस शुल्क जमा करना होगा।
3. प्रत्येक माह आय-व्यय का विवरण सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
4. लाभ या हानि की स्थिति में सभी मेस सदस्यों में समान रूप में राशि को अगले माह में समायोजित किया जाएगा।
5. निर्धारित तिथि तक भुगतान न करने की स्थिति में मेस सदस्यों को प्रत्येक दिन 20 रुपये का जुर्माना देना होगा।
6. यदि महीने के आखिरी दिन तक या निर्धारित तिथि तक मेस बिल का भुगतान नहीं किया जाता है, तो मेस सदस्य का भोजन बंद कर सुरक्षा राशि से वंचित कर दिया जाएगा तथा आवंटित कक्ष को डबल लॉक करके छात्रावास से निष्कासन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
7. मेस शुल्क संबंधित छात्रावास के बैंक खाता में जमा कर कार्यालय में स्वहस्ताक्षरित रसीद की छाया प्रतिलिपि जमा करना होगा।
8. गलत मेस शुल्क विवरण जमा करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

26/5/25 Jayant 26.05.25

8

छात्रावास मेस के नियम

1. मेस सदस्यों को **मेस सुरक्षा राशि** रुपये 3000.00 जमा करानी होगी जिसे अध्ययन कार्यक्रम पूर्ण होने पर वापस किया जायेगा।
2. विश्वविद्यालय का कोई भी विद्यार्थी जो संबंधित छात्रावास का अंतेवासी नहीं है, उसे उस छात्रावास के मेस में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. केवल अधिकृत अतिथि (अधीक्षक द्वारा लिखित रूप से अधिकृत) ही नियमित आहार शुल्क के अतिरिक्त शुल्क (छात्रावास मेस संचालन समिति द्वारा निर्धारित) का भुगतान करके ही भोजन ग्रहण कर सकते हैं।
4. छात्रावास मेस प्रबंधक की जिम्मेदारी है कि वह छात्रावास संचालन समिति के सदस्यों की समग्र देखरेख में इसे सुचारू रूप से संचालित किया जाये।
5. ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में सभी छात्रावास के मेस संचालित नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में कामन (सामान्य) मेस चलाया जा सकता है।
6. विद्यार्थी प्रतिनिधियों का चयन छात्रावास की आम सभा में की जायेगी जो प्रत्येक माह आयोजित होगी। प्रथम माह में 06 प्रतिनिधियों का चयन तथा अगले माह से 03 प्रतिनिधियों का चयन किया जायेगा; प्रथम माह को छोड़कर शेष माह में 03 प्रतिनिधियों का चयन किया जायेगा। कोई भी विद्यार्थी लगातार दो माह से अधिक विद्यार्थी प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा।
7. फील्डवर्क/प्रयोगात्मक शिक्षण कार्य से संबंधित मेस सदस्यों को संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत पत्र के आधार पर लंच पैकेट (विद्यार्थी के पात्र में) दिया जा सकता है।
8. केवल बीमार होने की स्थिति में मेस सदस्यों को विद्यार्थी प्रतिनिधियों तथा छात्रावास अधीक्षक की पूर्व अनुमति से उनके निजी बर्तनों में भोजन कक्ष से बाहर ले अनुमति प्रदान की जा सकती है।
9. अन्तेवासियों को लिखित अनुमति के बिना मेस से कोई भी बर्तन/क्रॉकरी बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है; यदि मेस के बर्तन/क्रॉकरी कमरे में पाए जाते हैं तो उन्हें 200/- रुपये का जुर्माना देना होगा।
10. मेस सदस्यों तथा उनके अतिथियों से अपेक्षा की जाती है कि वे डाइनिंग हॉल (मेस) में उचित ढंग से कपड़े पहनकर आएं। उन्हें भोजन कक्ष में शिष्टचार बनाए रखना चाहिए।
11. अतिथियों का भोजन शुल्क केंद्रीय मेस प्रबंधन समिति द्वारा समय- समय पर निर्धारित किया जायेगा। वर्तमान में यह दर (नाश्ता एवं भोजन) 160 रुपये रहेगा। नाश्ता 40 रु. तथा भोजन 60+60 रु. रहेगा।

नोट: जुर्माना राशि दो दिनों के भीतर ही छात्रावास कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।

यात्रा-संबंधी मेस से छूट

1. शैक्षणिक/व्यक्तिगत कार्य के आधार पर मेस से छूट प्राप्त करने के लिए, मेस सदस्यों को छात्रावास कार्यालय में **दो कार्य दिवस पूर्व** में लिखित रूप से आवेदन करना होगा जिसमें (क) यह यात्रा उसके शैक्षणिक/व्यक्तिगत कार्य के संबंध में है, (ख) यात्रा का स्थान, (ग) यात्रा की अवधि तथा (घ) वापसी की तिथि एवं समय का स्पष्ट उल्लेख हो।
2. ससमय दो कार्य दिवस पूर्व आवेदन प्राप्त होने पर ही उनके मेस राशि को अगले माह समायोजित किया जायेगा।
3. यदि कोई निवासी छुट्टी पर जाने से पहले दो कार्य दिवस पूर्व मेस से छूट के लिए आवेदन करने में विफल रहता है, तो किसी भी परिस्थिति में उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. किसी भी अन्तेवासी को एक वर्ष में **60 दिनों** से अधिक (ग्रीष्मावकाश को छोड़कर) मेस से छूट का लाभ लेने की अनुमति नहीं होगी। संबंधित मेस सदस्य को 60 दिनों की अधिकतम मेस छूट सीमा के बाद उन्हें मासिक मेस शुल्क का शत-प्रतिशत देना होगा।

नोट: मेस नियमों, मेस से छूट और मेस समिति के लिए दिशा-निर्देशों के बावजूद, छात्रावास मेस के सभी मामलों में अध्यक्ष, केंद्रीय मेस प्रबंधन समिति अंतिम प्राधिकारी होंगे।

26/5/25 26/5/25 26.05.25 21/08/25

(५)

(कमल शर्मा)
अनुभाग अधिकारी/ मेस मैनजेर
सदस्य सचिव

(डॉ. गौरी शर्मा)
अधीक्षक, सावित्रीबाई फुले छात्रावास
सदस्य

(डॉ. मीरा निचले)
अधीक्षक, सावित्रीबाई फुले छात्रावास
सदस्य

(डॉ. सूर्य प्रकाश पाण्डेय)
अधीक्षक, छत्रपति संभाजी महाराज छात्रावास
सदस्य

(डॉ. प्रदीप)
अधीक्षक, छत्रपति संभाजी महाराज छात्रावास
सदस्य

(डॉ. हेमचन्द्र ससाने)
अधीक्षक, बिरसा मुंडा छात्रावास
सदस्य

(डॉ. प्रमोद जोशी)
अधीक्षक, बिरसा मुंडा छात्रावास
सदस्य

(डॉ. आम्रपाल शेन्दरे)
अधीक्षक, भगत सिंह छात्रावास
सदस्य

(डॉ. चंद्रशेखर पाण्डेय)
अधीक्षक, भगत सिंह छात्रावास
सदस्य

(डॉ. शिवसिंह बघेल)
अधीक्षक, सुखदेव छात्रावास
सदस्य

(डॉ. योगेंद्र बाबू)
अधीक्षक, सुखदेव छात्रावास
सदस्य

(डॉ. हिमांशु शेखर)
अधीक्षक, राजगुरु छात्रावास
सदस्य

(डॉ. समरजीत यादव)
अधीक्षक, राजगुरु छात्रावास
सदस्य

(डॉ. जगदीश नारायण तिवारी)
अधीक्षक, चंद्रशेखर आजाद छात्रावास
सदस्य

(डॉ. अभिषेक सिंह)
अधीक्षक, चंद्रशेखर आजाद छात्रावास
सदस्य

(डॉ. जयंत उपाध्याय)
मुख्य छात्रावास अधीक्षक
सदस्य

(डॉ. राकेश कुमार मिश्र)
कुलानुशासक
सदस्य

(प्रो. अवधेश कुमार) 26/5/2025
अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण/ अध्यक्ष,
मेस प्रबंधन समिति
अध्यक्ष

10